"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2009—माघ 24, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री आलोक अवस्थी, भा. प्र. से. (2002), उप सचिव, मुख्यमंत्री को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. साथ ही प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ, रायपुर के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री प्रसन्ना आर., भा. प्र. से. (2004), अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. सुश्री श्रुति सिंह, भा. प्र. से. (2006), अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा, जिला दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर जिला कांकेर को दिनांक 26-12-2008 से 07-01-2009 तक (13 दिवस) का (कार्योत्तर) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-12-2008 एवं 08-01-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर जिला कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.—श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से., उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर को दिनांक 22-09-2008 से 16-01-2009 (117 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 सितम्बर 2008 एवं 17, 18 जनवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार आगामी आदेश तक उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बेहार के उक्त अवकाश अवधि में श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ उद्योग आयुक्त, छ. ग. का कार्य सम्पादित करेंगे.

6. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 19-09-2008 द्वारा स्वीकृति अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/31/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-01-2009 द्वारा श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से., आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 29-12-2008 से 09-01-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29-12-2008 से 06-01-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-12-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल (तत्कालीन महानिरीक्षक नगर सेना) को दिनांक 22-02-2009 से 27-02-2009 तक रांची (झारखंड) आयोजित खेल प्रतियोगिता हेतु बनाई गई अनुशासन कमेटी में सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु 06 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक जेल, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ 1/147/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे को दिनांक 16-02-2009 से दिनांक 28-02-2009 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्यभार श्री नरेंद्र खरे, सेनानी, 8वीं वाहिनी, छ. स. बल, राजनांदगांव को सौंपा जाता है.

3. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 6-110/2005/वाक (आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड गोविन्द नगर, पंडरी, रायपुर का पदेन अध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक 29/वि. स. ऊ./2009.—राज्य शासन द्वारा किये गये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के संबंध में विभिन्न संगठनों के सुझावों एवं समस्याओं इत्यादि पर विस्तृत परीक्षण एवं विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	-	सदस्य
3.	प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	-	सदस्य
4.	प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	-	सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	-	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-	सदस्य
7.	प्रबंध संचालक, छ. ग. स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	सदस्य
8.	राज्य शासन द्वारा नामांकित विद्युत क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ	-	सदस्य
9.	राज्य शासन द्वारा नामांकित कराधान से संबंधित विषय विशेषज्ञ	-	सदस्य
10.	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग	-	संयोजक

समिति आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के पुनर्गठन के अनुभवों का अध्ययन कर सकेगी.

समिति उपरोक्तानुसार परीक्षण एवं विचार कर राज्य शासन के समक्ष यथासम्भव 4 माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2009

क्रमांक 170/एफ. 15/02/वि. अधि. अधिसूचना/13/2/ऊ. वि./2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 36 सन् 2003) की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2008 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित को विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं के अंतर्गत दिनांक 01-01-2009 से राज्य पारेषण युटिलिटी (एसटीयू) के रूप में अधिकृत किया जाता है.

No. 170/F. 15/02/E. Act Notification/13/2/ED/2009.—In exercise of powers conferred by section 39 of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003) Govt. of Chhattisgarh hereby authorizes Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, a company constituted under Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules 2008 to function as State Transmission Utility (STU) from 01-01-2009 under the relevent provisions of Electricity Act, 2003.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक/एफ-1-125/व. सं./2001.— छ. ग. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-125/व.सं./2001 दिनांक 20 जुलाई 2001 द्वारा अधिसूचित राजनांदगांव वनमण्डल के अधीनस्थ उप वनमण्डलों के अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य शासन द्वारा उप वनमण्डलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	वृत्त का नाम	जिला	वनमण्डल का नाम एवं मुख्यालय	उप वनमण्डल का नाम एवं मुख्यालय	परिक्षेत्र का नाम एवं मुख्यालय	वनभूमि का क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में)				परिक्षेत्र की सीमाओं का विवरण
						आ. वन	सं. वन	असी. वन	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	दुर्ग	राजनांदगांव	राजनांदगांव (राजनांदगांव)	1. राजनांदगांव (राजनांदगांव) 188.42 वर्ग कि. मी.	1. राजनांदगांव (राजनांदगांव)	24.46	0.72	4.41	29.59	उत्तर - खैरागढ़ विकासखण्ड की सीमा पूर्व - दुर्ग जिले की सीमा दक्षिण - दुर्ग जिला एवं छुरिया विकासखण्ड की सीमा पश्चिम - छुरिया, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ विकासखण्ड की सीमा.
					2. बाघनदी (बाघनदी)	94.71	55.29	8.83	158.83	उत्तर - डोंगरगढ़ विकासखण्ड की सीमा
					3. चिरचारी काष्ठागार (चिरचारी)					पूर्व - डोंगरगांव विकासखण्ड की सीमा एवं राजस्व ग्राम बिटाल, हैदलकोड़ो, बेलरगोंदी, दतरेंगा, कुठीहालमती, जोशीलमती एवं कोठीटोला की सीमा. दक्षिण - चौकी विकासखण्ड की सीमा पश्चिम - महाराष्ट्र राज्य की सीमा
					योग	119.17	56.01	13.24	188.42	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2. चौकी (चौंकी) 680.05 वर्ग कि. मी. -397.21 वर्ग कि. मी. **282.84 वर्ग कि. मी.**	1. चौंकी (चौंकी)	-	112.29	32.77	145.06	उत्तर- छुरिया विकासखण्ड की सीमा पूर्व - छुरिया विकासखण्ड की सीमा तथा दुर्ग जिले की सीमा. दक्षिण - मोहला विकासखण्ड की सीमा पश्चिम - महाराष्ट्र राज्य की सीमा
				पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव को हस्तांतरित क्षेत्र 397.21 वर्ग कि. मी.	2. खुज्जी (डोंगरगांव)	42.19	63.59	32.00	137.78	उत्तर - डोंगरगांव विकासखण्ड की सीमा पूर्व - दुर्ग जिले की सीमा दक्षिण - दुर्ग जिले एवं चौकी विकासखण्ड की सीमा पश्चिम - राजस्व ग्राम- पर्रामटोला, पांडेटोला, धौराटोला, गहिराभेंडी, पेंडरीपथरा, सीताकसा, गेंदाटोला, लुलीकसा, कोलियारी एवं खपराभाट की सीमा.
					3. पानाबरस (मोहला)	172.43 (पानाबरस परिक्षेत्र का संपूर्ण वनक्षेत्र 397.21 वर्ग कि. मी. को वन विकास निगम पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव को हस्तांतरित, हस्तांतरित क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव का है.	174.77	50.01	397.21	उत्तर - चौकी विकासखण्ड की सीमा पूर्व - दुर्ग जिले की सीमा दक्षिण - मानपुर विकासखण्ड की सीमा पश्चिम - महाराष्ट्र राज्य की सीमा
					योग	**214.62**	**350.65**	**114.78**	**680.05**	
				3. मानपुर (मोहला) 679.47 वर्ग कि. मी. -143.28 वर्ग कि. मी. **536.19 वर्ग कि. मी.**	1. उ. मानपुर (मानपुर)	38.47 उ. मानपुर परिक्षेत्र के वनक्षेत्र 309.55 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में से 143.28 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को वन विकास निगम पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव को कार्य के लिए हस्तांतरित, हस्तांतरित क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व परियोजना मंडल का है.	224.99	46.09	309.55	उत्तर - मोहला विकासखण्ड की सीमा पूर्व - कांकेर जिले की सीमा दक्षिण - कोहकानाला पश्चिम - महाराष्ट्र राज्य की सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव को हस्तांतरित क्षेत्र 143.28 वर्ग कि. मी.	2. द. मानपुर (मानपुर)	–	344.36	25.56	369.92	उत्तर – कोहकानाला पूर्व – कांकेर जिले की सीमा दक्षिण – महाराष्ट्र राज्य की सीमा पश्चिम –महाराष्ट्र राज्य की सीमा
					योग	**38.47**	**569.35**	**71.65**	**679.47**	
राजनांदगांव वनमण्डल का योग :—				**1547.94**	**8**	**372.26**	**976.01**	**199.67**	**1547.94**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक/एफ-15-01/15-02/2009/1.-छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) की धारा 56 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** -
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नियम, 2008 है ।

   (2) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000);

   (ख) आवेदक से अभिप्रेत है, -
   (एक) अधिनियम के अध्याय चार के अधीन किसी आवेदक के मामले में, यथास्थिति "राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक" का बोर्ड;

   (दो) अधिनियम के अध्याय पांच के अधीन किसी आवेदक के मामले में "राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक" या ऐसे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक का निदेशक बोर्ड, या ऐसा व्यक्ति/समिति, जिसे इसका प्रबंध सौंपा गया हो;

   (घ) "करस्थमकर्ता" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो रजिस्ट्रार द्वारा व्यतिक्रमी की बंधक की हुई भूमि की उपज जिसमें उस पर खड़ी फसल सम्मिलित है और व्यतिक्रमियों की अन्य जंगम संपत्ति और साथ ही प्रत्याभूतिदाता (गारंटर) के विनिधान की जंगम संपत्ति तथा उसके उत्पाद के और प्रत्याभूतिदाता द्वारा प्रत्याभूति के रूप में प्रस्थापित संपत्ति और उसकी अन्य संपत्ति का करस्थम करने और विक्रय करने के लिए सशक्त हों;

   (ङ.) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है, अधिनियम में यथा परिभाषित, यथा स्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक;

   (च) "निधि" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित प्रत्याभूति निधि;

   (छ) "सरकारी प्रतिभूति" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रतिभूति, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, लोक उधार लेने के प्रयोजन के लिए सृजित तथा जारी की गई हो और लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन विहित किए गए प्ररूपों में से किसी प्ररूप में हो;

   (ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

अध्याय – दो
निधियां और संसाधन

3. **निधियां जुटाना.** – अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य विकास बैंक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा रजिस्ट्रार द्वारा विरचित शर्तों, प्रक्रिया तथा समय सीमा के अनुसार निम्नलिखित संसाधनों के माध्यम से निधियां जुटाएगा :–

(क) डिबेन्चर,
(ख) बंधपत्र,
(ग) उधार,
(घ) निक्षेप,
(ङ.) संदान, और
(च) अनुदान.

4. **धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन परिस्थितियां.** – प्रत्याभूति निधि की स्थापना ऐसी हानियों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए की जाएगी जो राज्य विकास बैंक के पक्ष में दी गई या अधिनियम की धारा 20 के अधीन अंतरित की गई प्रतिभूतियों पर राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा दिए गए उन उधारों के मद्दे उद्भूत हो सकती हो और जिनकी पूरी वसूली निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण नही हो सकी हो :–

(क) यह कि दिये गये उधार की पूर्ण वसूली, बाढ़, अकाल, भूकम्प, अग्नि, फसल के बिगड़ जाने या विनिधान से निर्मित संपत्ति के नष्ट होने तथा अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण संभव नही है;

(ख) यह कि दिए गए उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित स्थावर संपत्ति राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अर्जित कर लिये जाने अथवा ऐसी स्थावर संपत्ति के किसी सार्वजनिक बांध, तालाब आदि के निर्माण के कारण जलमग्न होने के परिणामस्वरूप अनुत्पादक होने से उधार लेने वाला, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के उधारों का प्रतिसंदाय करने में असमर्थ हो गया है.

5. **प्रत्याभूति निधि.** – अधिनियम की धारा 9 कि उपधारा (1) के अधीन गठित की जाने वाली प्रत्याभूति निधि छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रत्याभूति निधि कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :–

(क) वे समस्त धन, जो राज्य सरकार से अनुदानों, उधारों, अग्रिमों के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुए हों;

(ख) वे समस्त ब्याज तथा लाभ, जो निधि के किसी धन के किसी विनिधान से या निधि के किसी धन के संबध में किसी संव्यवहार से उद्भूत् हो;

(ग) अंशदान का वह रकम जो राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक से प्राप्त हुई हो; और

(घ) ऐसी अन्य राशियां, जो चाहे किसी भी अन्य स्रोत से निधि में जमा किए जाने के लिए प्राप्त हो.

6. **प्रत्याभूति निधि में अंशदान.** – राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंक अपने शुद्ध लाभों में से क्रमशः दो प्रतिशत तथा एक प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष अंशदान करेंगे, कोई शुद्ध लाभ नहीं होने के मामले में यह दर वर्ष के कुल उधार संवितरण का क्रमशः 0.02 प्रतिशत तथा 0.01 प्रतिशत होगी.

7. **प्रत्याभूति निधि का उपयोग तथा विनिधान.** –

(1) निधि, रजिस्ट्रार में निहित होगी और इसका उपयोग राज्य विकास बैक या जिला विकास बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बंधकों की प्रत्याभूति पर दिए गए उधारों की नियम 4 में विहित परिस्थितियों के कारण पूर्ण वसूली नहीं होने के कारण उद्भूत् हो सकने वाली हानियों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए किया जाएगा.

(2) रजिस्ट्रार, इस निधि को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित बैंक के चालू खाते में रजिस्ट्रार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विकास बैंक के संयुक्त नाम से रख सकेगा या रखने हेतु निदेशित कर सकेगा तथा उक्त प्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से इसका परिचालन किया जावेगा तथा इस निधि में से ऐसी धन राशि का, जैसी कि राज्य सरकार अवधारित करे, ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए.

8. **प्रत्याभूति निधि के लेखे तथा संपरीक्षा. –**

(1) रजिस्ट्रार समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे लेखाओं का वार्षिक विवरण तथा तुलन पत्र (बैलेस शीट) तैयार करेगा.

(2) रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसे अंतरालों पर, जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करे निधि के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी, तथा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में किया गया व्यय, इस निधि में से देय होगा.

9. **वार्षिक रिपोर्ट.** – रजिस्ट्रार, वर्ष के दौरान किये गये कार्यकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

10. **निधि में से अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.** – निधि में से अनुदान की मंजूरी के लिए राज्य विकास बैंक से आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित सीमा तक अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :–

	प्राधिकारी	रकम
1.	रजिस्ट्रार	रू. 50,000/– तक
2.	राज्य सरकार	रू. 50,000/– से अधिक

11. **प्रत्याभूति निधि से हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन. –**

(1) प्रत्याभूति निधि से हानियों की पूर्ति हेतु आवेदन–पत्र रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित/विहित प्ररूप में होगा और राज्य विकास बैंक द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, आवेदन में वर्णित ब्यौरों की सत्यता की या तो स्वयं जांच करेगा या कोई अधिकारी नियुक्त करेगा.

(3) रजिस्ट्रार, जांच से समाधान होने पर, नियम 10 में विहित सीमा तक अनुदान स्वीकृत करेगा या राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए अनुशंसा करेगा. राज्य सरकार मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

अध्याय – तीन
उधार

12. **विकास बैंक द्वारा उधार का दिया जाना.** – यथास्थिति राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 में यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों को उधार, ऐसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों पर, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाएं, वित्तीय अभिकरण (एजेंसी) द्वारा यथा विनिश्चित सीमा के भीतर स्वीकृत किया जा सकेगा. खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी उधार स्वीकृत किया जा सकेगा, आवेदक के शपथ–पत्र के अतिरिक्त धारा 18 के अधीन प्रत्याभूतिदाता का शपथ–पत्र भी दी गई प्रतिभूति संपत्ति के संबंध में प्राप्त किया जाएगा.

13. **विकास बैंको से उधार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तथा आवेदन–पत्र के विचार की प्रक्रिया–**

(1) राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंकों से उधार के लिए समस्त आवेदन पत्र राज्य विकास बैंक द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किए गए प्ररूप में दिये जाएंगे । प्ररूप में अन्य बातों के साथ ऐसे दस्तावेज की सूची समादिष्ट होगी, जिनका आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा.

(2) प्रत्येक जिला विकास बैंक, उधार आवेदन पत्र के प्ररूपों की मुद्रित प्रतियों का पर्याप्त स्टाक रखेगा और उन्हे इच्छुक उधार लेने वालों को ऐसी फीस के संदाय पर, जो विकास बैंक द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए प्रदान करेगा.

(3) उधार के लिए आवेदन–पत्र राज्य विकास बैक तथा जिला विकास बैंक के प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक/प्रबंधक/शाखा प्रबधक या अन्य प्रधिकृत अधिकारी को संबोधित किया जाएगा जो "प्राप्तकर्ता अधिकारी" कहलाएगा.

(4) आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों तथा राज्य विकास बैंक द्वारा समय-समय पर अवधारित समस्त फीस की रकम और बैंक के एक अंश (शेयर) के मूल्य के समतुल्य रकम के साथ आवेदक द्वारा उपनियम (3) मे वर्णित प्राप्तकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा.

(5) उधार के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी आवेदन-पत्र पर अपने आद्याक्षर करेगा और अपना नाम, पदनाम तथा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख उल्लिखित करेगा.

(6) उधार के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि उसमें समस्त आवश्यक विशिष्टियां दी गई हैं तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न है, यदि किन्ही विवरणों की कमी है तो आवेदक से आवेदन-पत्र को पूर्ण करायेगा और सूचना के प्रकाशन तथा मूल्यांकन हेतु तत्काल इसे मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. मूल्यांकन अधिकारी, तत्काल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इन नियमों में संलग्न प्ररूप "क" मे सूचना प्रकाशित कर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्ति या हित या दावा, अधिसूचना की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करने करने की अपेक्षा करेगा.

(7) मूल्यांकन अधिकारी, सूचना के प्रकाशन/जॉच, उधार के आवेदन-पत्र की जॉच तथा मूल्यांकन के लिए राज्य विकास बैंक द्वारा नियुक्त/प्राधिकृत अधिकारी होगा.

(8) राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में प्रस्तुत प्रतिभूति को संपत्ति की किसी कुर्की या बंधक या भार अथवा दावे पर अग्रता होगी, यदि हितबद्ध व्यक्ति/संस्था द्वारा ऐसी सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसी कुर्की या बंधक भार के अधीन दावा या हित, विकास बैंक की जानकारी में नही लाया गया हो, यदि हितबद्ध व्यक्ति/संस्था द्वारा कोई कुर्की या बंधक या भार या दावा या हित सात दिन के भीतर सूचित किया जाता है तो मूल्यांकन अधिकारी उसका गुणागुण के आधार पर निपटारा करेगा तथा साथ ही वह प्ररूप "ख" में एक रिपोर्ट देगा और स्थल का वास्तविक निरीक्षण कर मूल्यांकन कार्य करेगा.

(9) मूल्यांकन अधिकारी, आवेदक की संपत्ति और/या प्रत्याभूतिदाता की संपत्ति की जांच एवं मूल्यांकन करेगा तथा स्थल/प्रस्तावित विकास/प्रतिभूति का परिदर्शन तथा स्वयं निरीक्षण करने के पश्चात् 10 दिवस के भीतर बैंक को अपनी रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा, जैसा राज्य विकास बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित किया जाए.

(10) ऐसी उचित रूप से की गई जॉच से समाधान होने के पश्चात् तथा विस्तृत तथा पूर्ण समाधान के लिए अतिरिक्त जानकारी/जॉच, यदि आवश्यक हो, के पश्चात् विकास बैंक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी मामले का परीक्षण करेगा तथा उधार उपसमिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा. विकास बैंक, रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 दिन के भीतर अपना अंतिम स्वीकृति आदेश पारित करेगा और आवेदक को संसूचित करेगा.

(11) राज्य विकास बैंक/जिला विकास बैंक द्वारा उधार स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उधार लेने वाले और प्रत्याभूति दाता की स्थावर/जंगम, संपत्ति, विकास बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक आदि रखने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई में, इन नियमों में संलग्न प्ररूप "ग" में उधार लेने वाले तथा प्रत्याभूतिदाता का वचन/शपथ-पत्र तथा धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूतियों के संबंध में गिरवी/बंधक विलेख आदि सम्मिलित होगा. उधार लेने वाले या प्रत्याभूतिदाता की संपत्ति के गिरवी/बंधक विलेख का रूप विधान (फार्मेट) राज्य विकास बैंक द्वारा समय-समय पर, विनिश्चित किया जाएगा.

(12) उधार के आवेदन-पत्र के रद्द हो जाने की दशा में उसके लिए कारण बैंक द्वारा आवेदक को सूचित किए जाएगें. उधार स्वीकृत हो जाने पर ऐसे उधार के संबंध में संबधित विकास बैंक गिरवी/बंधक विलेख, प्रतिभूति विलेख और/या प्रत्याभूति विलेख आदि के निष्पादन और तारीख एवं स्थान, जहाँ आवेदक का, कागज पत्रों (पेपर) और प्रस्थापित प्रतिभू और/या प्रत्याभूतिदाता के साथ उपस्थित रहना अपेक्षित हो, के संबंध में आवेदक को सूचित करेगा. उधार की स्वीकृति, उसके उपयोग की महत्वपूर्ण शर्तें और अनुपालन की सूचना भी दी जाएगी.

(13) आवेदक, उधार की रकम या उधार की प्रथम किश्त प्राप्त करने के पूर्व बैंक के शेयर उतनी सीमा तक क्रय करेगा जैसा कि राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा अपेक्षा की जाए, विकास बैंक, आवेदक को उसके द्वारा समय-समय पर भुगतान की गई रकम की पूर्ण विशिष्टियॉ देते हुए एक रसीद जारी करेगा.

(14) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए शपथ पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाने वाली उधार की रकम बीस लाख रूपये की सीमा से अधिक नही होगी.

(15) इन नियमों में विनिर्दिष्ट की गई समय सीमा का अनुपालन करने में चूक से किसी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और/या संवितरित उधार की विधिमान्यता किसी भी रीति में प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगी.

अध्याय – चार
उपज का करस्थम तथा विक्रय

14. **उपज के करस्थम तथा विक्रय के लिए आवेदन.** – अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन उपज के करस्थम् तथा विक्रय के लिए आवेदन, बैंक की समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के अधीन ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि आवेदन में उपवर्णित विशिष्टियॉं सही है, करस्थम का आदेश पारित करने के पश्चात् मांग की सूचना दो प्रतियों में ऐसे प्ररूप में, जैसे कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, तैयार करेगा और उसे संबधित करस्थमकर्ता को अग्रेषित करेगा.

15. **संपत्तियों के करस्थम तथा विक्रय के लिए प्रक्रिया.** –

(1) जैसे ही उपज तथा संपत्तियों का करस्थम किया जाए, करस्थमकर्ता, करस्थम की गई उपज तथा अन्य जंगम संपत्तियों की एक सूची ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, तैयार करेगा और ऐसी सूची की एक प्रति, व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता (गारंटर) अथवा करस्थम के समय उपस्थित उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को परिदत्त करेगा. करस्थमर्ता, रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये प्ररूप में व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता को ऐसी तारीख, स्थान तथा समय दर्शाते हुए, जिस पर करस्थम की गई संपत्तियों को विक्रय किया जाएगा, सूचना देगा.

(2) करस्थमकर्ता, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए करस्थम तथा विक्रय के अंतराल के दौरान करस्थम की गई संपत्ति की अभिरक्षा तथा परिरक्षण के लिए समुचित प्रबंध करेगा. यदि करस्थमकर्ता द्वारा अपेक्षा की जाती है तो व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता, करस्थम की गई संपत्ति की अभिरक्षा तथा परिरक्षण की जिम्मेदारी ले सकेगा, जिसके लिए उसे लिखित में एक वचनबंध देना होगा, ऐसा अभिरक्षक/परिरक्षक, करस्थम की गई संपत्ति को, उसकी लापरवाही के कारण कारित हुई किसी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा. यदि करस्थम की गई संपत्ति ट्रेक्टर, मशीनरी आदि है तो उसकी अभिरक्षा और परिरक्षण, पुलिस थाना/चौकी के पर्यवेक्षण में होगा, यदि पशु का करस्थम किया गया है तो करस्थमकर्ता द्वारा उसे व्यतिक्रमी/उधार लेने वाले के खर्च पर कांजी हाउस में अभिरक्षा में रखा जा सकेगा.

(3) कोई भी करस्थम सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् नही किया जाएगा.

(4) यदि किसी व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता की भूमि की फसलें या प्रसंस्करण इकाई या एकत्रित नही किए गये उत्पाद, अन्य उत्पाद करस्थम किये जाते है; तो करस्थमकर्ता उनका विक्रय उन्हें काटे जाने या एकत्रित किए जाने योग्य होने पर करा सकेगा या सीजन में उन्हें कटवा सकेगा अथवा एकत्रित करवा सकेगा और उनका विक्रय किये जाने तक किसी उचित स्थान में संग्रहित करवा सकेगा.

(5) करस्थमकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अश्वशाला, गौशाला, अन्नगृह, गोदाम, बाह्यगृह, कृषिप्रक्षेत्रगृह, प्रसंस्करण इकाई या किसी भवन या किसी बाड़ा या किसी अन्य भवन को बलपूर्वक खोले और व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता से संबंधित किसी निवास गृह में, जिसका द्वार खोला जा सकता हो, प्रवेश करे तथा ऐसे किसी निवास गृह के ऐसे किसी कक्ष के ताले को तोड़े अथवा उसके द्वार खोले और बंधक की हुई संपत्ति के उत्पादों या बंधक की हुई भूमि की उपज या उसमें भंडारित सम्पत्ति का करस्थम करे;

परंतु ऐसे करस्थमकर्ता के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय यह विधिपूर्ण नही होगा कि महिलाओं के निवास के लिए प्रयुक्त हो रहे ऐसे निवास गृह के किसी कमरे में प्रवेश करे ।

(6) (क) यदि करस्थमकर्ता को यह मानने का कारण हो कि व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता की बंधक की हुई भूमि की उपज और/या उसे दी गई वित्तीय सहायता इकाई के उत्पाद ऐसे निवासगृह के भीतर रखे है जिसका बाहरी द्वार बंद हो, या महिलाओं के निवास के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले

कमरे के भीतर है तो करस्थमकर्ता इस तथ्य का निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा.

(ख) ऐसे अभ्यावेदन पर, उक्त पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी को स्थल पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में करस्थमकर्ता ऐसे घर के भीतर के किसी कक्ष के बाहरी दरवाजे को, महिलाओं के निवास के लिए प्रयुक्त किसी कक्ष को छोड़कर बलपूर्वक खोल सकेगा और उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर सकेगा.

(ग) करस्थमकर्ता पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, महिलाओं को उनके निवास से हटाने हेतु दी गई सम्यक् सूचना के पश्चात् तथा वहां से उनको उचित रीति में हटाने के लिए साधन उपलब्ध कराने के पश्चात् उक्त कक्ष में भी प्रवेश कर सकेगा तथा उसमें जमा बंधक की गई भूमि की उपज या वित्तीय सहायता प्राप्त इकाई के उत्पादों अथवा अन्य जंगम संपत्ति, यदि कोई हो, का करस्थम कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसी उपज पाई जाती है तो वे अविलम्ब उन कक्षों से हटा ली जाएगी, तत्पश्चात् उन्हें पूर्ववर्ती अधिभोगियों के लिए छोड़ दिया जाएगा.

(7) (क) करस्थमकर्ता उस ग्राम में, जहां व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता निवास करता है या जिसमें उपज रखी हुई है किए जाने के लिए आशयित विक्रय की तारीख, समय तथा स्थान की उद्घोषणा डोंडी पिटवाकर या ध्वनिविस्तारकों द्वारा या समाचार–पत्रों में प्रकाशन करके या परचे वितरित करके या पोस्टर चिपका कर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर, जैसा कि करस्थमकर्ता विक्रय के सम्यक् प्रचार के लिए आवश्यक समझे, करवाएगा.

(ख) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांग/करस्थम की सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात विक्रय किया जाएगा;

परंतु जहाँ करस्थम की गई सम्पत्ति शीघ्रतया और प्राकृतिक रूप से क्षयशील हो, वहाँ करस्थमकर्ता 15 दिन की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय उसका विक्रय कर सकेगा.

(8) करस्थमकर्ता, अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश यदि कोई हो, के अध्यधीन, करस्थम की गई संपत्ति या उसके ऐसे अन्य भाग को जैसा कि आवश्यक हो, नियत तारीख, समय और स्थान पर, एक या अधिक लॉट में, जैसा कि करस्थमकर्ता वांछनीय समझे, नीलाम द्वारा विक्रय करेगा और उसका व्ययन अधिकतम बोली लगाने वाले को कर सकेगा.

(9) उपनियम (8) के अधीन विक्रय की गई संपत्ति के मूल्य का भुगतान विक्रय के समय या उसके शीघ्र पश्चात् जैसा कि करस्थमकर्ता निर्धारित करे, किया जाएगा तथा क्रेता को संपत्ति या उसके किसी भाग को ले जाने की अनुमति तब तक नही दी जाएगी जब तक कि उसने मूल्य का पूर्ण भुगतान नही कर दिया हो.

(10) यदि क्रेता मूल्य का भुगतान करने में असफल रहता है तो संपत्ति का पुनर्विक्रय किया जाएगा और ऐसे पुनर्विक्रय के आगम, अधिनियम की धारा 25 में उपबंधित रीति में उपयोजित किए जाएंगे. यदि पुनर्विक्रय पर मूल्य में कोई कमी हो जाती है तो ऐसे पुनर्विक्रय से संबंधित समस्त व्यय, आवेदक या व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता के आग्रह पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17, सन् 1961) के अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट माध्यस्थम के पंचाट के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के अधीन व्यतिक्रमी क्रेता से वसूली योग्य होगें.

(11) यदि इस संबंध में किए गए आवेदन पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि कोई संपत्ति, जो इन नियमों के अधीन करस्थम की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या छुपे तौर पर हटाई गई है तो न्यायालय, ऐसी संपत्ति करस्थमकर्ता को तुरंत प्रत्यावर्तित किए जाने का आदेश दे सकेगा.

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए "सक्षम अधिकारिता वाला सिविल न्यायालय" से अभिप्रेत उस सिविल न्यायालय से है जिसे बंधक को प्रवर्तित कराने के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता हो.

(12) यदि विक्रय के लिए नियत तारीख से पूर्व व्यतिक्रमी या उसके लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या करस्थम की गई संपत्ति मे हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शोध्य पूर्ण रकम का उस पर देय ब्याज, यात्रा भत्ता तथा करस्थम करने में तथा विक्रय की उद्‌घोषणा में उपगत किए गए अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए भुगतान कर दिया जाता हैं तो करस्थमकर्ता विक्रय नही करेगा और संपत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा.

(13) (क) यदि उप नियम (12) में विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा करस्थम की गई संपत्ति में किसी अधिकार या हित का दावा किया जाता है तो करस्थमकर्ता उस दावे की जांच करेगा और उसके गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा करेगा, परंतु जहाँ करस्थमकर्ता यह समझता है कि दावा परिकल्पनापूर्वक या अनावश्यकतः विलंब से प्रस्तुत किया गया था तो ऐसी कोई जांच नही की जाएगी.

(ख) यदि किसी ऐसी संपत्ति को, जिसके संबंध में दावा किया गया है, विक्रय के लिए विज्ञापित की गई है तो करस्थमकर्ता दावे की जांच लंबित रहने तक विक्रय को स्थगित कर सकेगा.

अध्याय – पॉच
गिरवी रखी गई/बंधकित संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया

16. (1) अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन जंगम/गिरवी रखी गई/बंधकित स्थावर संपत्ति आदि के विक्रय के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा –

(क) रकम के अतिशोध्य हो जाने पर अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट समस्त व्यक्तियों को विकास बैंक ऐसे प्ररूप में, जैसा रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, दो मास के भीतर राशि जमा करने के लिए सूचना (नोटिस) देगा ।

साथ ही यदि जिला विकास बैंक द्वारा उधार दिया गया है तो जिला विकास बैंक, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन विक्रय के प्राधिकार हेतु ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, राज्य विकास बैंक को आवेदन करेगा.

(ख) जिला विकास बैंक से ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य विकास बैंक, यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई है तो उसकी जांच के बाद ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, अधिनियम की धारा 26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा.

(ग) राज्य विकास बैंक से प्राधिकार, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर, जिला विकास बैंक विक्रय के संचालन के लिए विक्रय अधिकारी को आवेदन करेगा. राज्य विकास बैंक की दशा में इस प्रकार के प्राधिकार की आवश्यकता नही होगी.

(घ) विक्रय अधिकारी को आवेदन ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाए, और राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक की समिति द्वारा सम्यकरूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा. उसमें ब्याज सहित वसूली हेतु शोध्य रकम अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूचना की तामील में उपगत किए गए व्यय और उक्त खण्ड के अधीन जिन व्यक्तियों पर सूचना तामील की गई, उनके नाम और पते अभिलिखित होंगे. उसमें उस जंगम/स्थावर संपत्ति, जिस पर कार्यवाही की जानी है, की पर्याप्त पहचान सहित विवरण भी अंतर्विष्ट होगा और उस दशा में, जब ऐसी संपत्ति का बंदोबस्त और/या सर्वे के अभिलेख में की सीमाओं द्वारा अभिज्ञान किया जा सकता हो तो ऐसी सीमाओं और/या नम्बरों के विनिर्देश होंगे.

(2) आवेदन प्राप्त होने पर विक्रय अधिकारी, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समस्त व्यक्तियों को, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाए, लिखित में एक सूचना देगा जिसमें सूचना की तामील के लिए उसके द्वारा उपगत व्ययों सहित बैंक द्वारा दावा की गई रकम और विक्रय अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाने वाले समय के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में विक्रय की जा रही संपत्तियों की विशिष्टियां अभिलिखित होंगी.

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन जारी सूचना में अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान नही किया जाता है तो विक्रय अधिकारी उस विकास बैंक को, जिसकी ओर से आवेदन

किया गया है, सूचना देने के बाद आवेदन में विनिर्दिष्ट जंगम/स्थावर संपत्ति के विक्रय की कार्यवाही निम्नानुसार रीति में करेगाः—

विक्रय की उद्घोषणा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाए, जिले में सहकारिता विभाग के प्रमुख अधिकारी के कार्यालय में और तहसील के राजस्व कार्यालय में, नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व एक सूचना चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी और उस ग्राम में जहाँ कि गिरवी/भारित/बंधकित जंगम/स्थावर संपत्ति स्थित है, और उस स्थान में, जहाँ ऐसी गिरवी/भारित/बंधकित संपत्ति का विक्रय किया जाना है विक्रय की तारीख के पूर्व लगातार 3 दिनों तक डोंडी पिटवाकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा भी की जाएगी. उदघोषणा में विक्रय की तारीख, समय एवं स्थान अभिलिखित किया जाएगा और यथासंभव उचित रूप से तथा सही रूप से निम्नलिखत विनिर्दिष्ट की जाएगी —

(एक) विक्रय की जाने वाली जंगम/स्थावर संपत्ति;

(दो) उसके संबंध में देय राजस्व या भाटक/कर;

(तीन) वह रकम, जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया है; और

(चार) कोई अन्य विषय, जिसे विक्रय अधिकारी, जंगम/स्थावर संपत्ति की प्रकृति तथा मूल्य के निर्णय की दृष्टि से क्रेताओं की जानकारी हेतु सारवान समझता है, यदि विक्रय अधिकारी आवश्यक समझे तो विक्रय का विज्ञापन समाचार–पत्रों या पैंपलेट या पोस्टर्स के माध्यम से प्रकाशित करेगा.

(4) विक्रय, सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाएगा. प्रत्येक बोली लगाने वाले को नीलामी में बोली लगाने के लिए रूपये 1000/— प्रतिभूति के रूप में जमा (निक्षेप) करना होगा, उसकी अधिकतम बोली की स्थिति में यह रकम बोली के रकम के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। बोली अस्वीकार होने की स्थिति में यह रकम निक्षेपकर्ता को तुरंत नगद में वापस कर दी जाएगी. अधिकतम बोली लगाने वाले/क्रेता के द्वारा व्यतिक्रम की दशा में यह रकम, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में समपहृत हो जाएगी. जब उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित गिरवी/भारित/बंधकित, जंगम/स्थावर संपत्ति का विक्रय इन नियमों के अधीन किया जाता है तो विक्रय, संपत्ति पर पूर्व विल्लंगम, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा. अधिकतम बोली लगाने वाले के पक्ष में विक्रय, सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाएगा. यदि बोली लगाने वाला राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक हो तो कोई प्रतिभूति निक्षेप की आवश्यकता नही होगी.

(5) स्थावर संपत्ति की दशा में क्रय धन (बोली की रकम) के 15 प्रतिशत के बराबर धनराशि क्रेता द्वारा क्रय करते समय विक्रय अधिकारी को निक्षिप्त (जमा) की जाएगी और ऐसे निक्षेप में व्यतिक्रम होने पर स्थावर संपत्ति का तत्काल पुनर्विक्रय किया जाएगा;

परंतु जहाँ विकास बैंक की समिति, जिसके अनुरोध पर स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जाता है, क्रेता हो और उपनियम (10) के अधीन शोध्य रकम के विरूद्ध क्रय धन की मुजराई के लिए हकदार हो तो विक्रय अधिकारी, इस खण्ड की अपेक्षाओं से अभियुक्ति प्रदान करेगा. जंगम संपत्ति की दशा में, संपूर्ण क्रय धन (बोली की रकम) विक्रय अधिकारी के पास जमा करना होगा.

(6) स्थावर संपत्ति के क्रय धन की शेष राशि विक्रय की तारीख से 15 दिन के भीतर भुगतान करनी होगी, परंतु इस प्रकार भुगतान की जाने वाली रकम की संगणना करने में क्रेता को किसी ऐसी मुजराई का, जिसका कि वह उपनियम (10) के अधीन हकदार हो, लाभ दिया जाएगा.

(7) उपनियम (6) में उल्लिखित कालावधि के भीतर भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, यदि विक्रय अधिकारी उचित समझे, तो विक्रय के समस्त खर्चे, प्रभार तथा व्यय चुकता करने के पश्चात् निक्षेप की रकम राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में समपहृत की जा सकेगी और व्यतिक्रम करने वाले क्रेता को जंगम/स्थावर संपत्ति के संबंध में या ऐसी राशि के, जिसके लिए उसका बाद में विक्रय किया जाए, किसी भी भाग के संबंध में समस्त दावों से वंचित कर दिया जाएगा.

(8) क्रेता के व्यतिक्रम के कारण पुनर्विक्रय किये जाने पर मूल्य में होने वाली कोई भी कमी तथा ऐसे पुनर्विक्रय से संबंधित समस्त व्यय, आवेदक या बंधककर्ता/प्रत्याभूतिदाता के अनुरोध पर, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17, सन् 1961) के अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी मध्यस्थ के पंचाट के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के अधीन व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से वसूली योग्य होंगे.

(9) ऐसे भुगतान के लिए अनुज्ञात की गई कालावधि के भीतर क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम की, दशा में गिरवी/बंधकित, जंगम/स्थावर संपत्ति का प्रत्येक पुनर्विक्रय ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के लिए, जो कि विक्रय हेतु इन नियमों में इसके पूर्व विहित की गई है, नवीन उद्‌घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किया जाएगा.

(10) जहाँ विकास बैंक की समिति, जिसके अनुरोध पर जंगम/स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है, स्वयं ही क्रय कर रही हो तो क्रय धन और शोध्य रकम की मुजराई एक दूसरे के विरूद्ध कर ली जाएगी और विक्रय अधिकारी, शोध्य धन के पूर्णतः या भागतः भुगतान की तुष्टि तद्‌नुसार अभिलिखित करेगा.

17. **कुर्क की गई संपत्ति की निर्मुक्ति.** -- जब विक्रय के लिए नियत तारीख के पूर्व बंधककर्ता/प्रत्याभूतिदाता या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या गिरवी/बंधकित, जंगम/स्थावर संपत्ति में अथवा प्रतिभूति के रूप में रखी गई संपत्ति में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज, यात्रा व्ययों तथा जंगम/स्थावर संपत्ति के विक्रय के संबंध में उपगत किए गए अन्य व्ययों सहित शोध्य संपूर्ण रकम का भुगतान कर देता है तो विक्रय अधिकारी विक्रय के लिए अग्रसर नही होगा.

18. **निक्षेप पर विक्रय अपास्त करने के लिए आवेदन.** --

(1) विक्रय अधिकारी, विक्रय की समाप्ति पर विकास बैंक को विक्रय के परिणाम के संबंध में एक प्रतिवेदन देगा.

(2) जब गिरवी/भारित/बंधकित, जंगम/स्थावर संपत्ति/प्रतिभूति का विक्रय अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अपास्त कर दिया जाता है तो यथास्थिति, निक्षेप या क्रय धन, अधिनियम की धारा 28 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार राशि सहित क्रेता को वापस कर दिया जाएगा.

19. **स्थावर संपत्ति का विक्रय, शोध्य बकाया के अनुपातिक होगा.** -- विक्रय अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह संपूर्ण गिरवी/भारित/बंधकित, जंगम/स्थावर संपत्ति/प्रतिभूति का संपूर्ण या उसके किसी भाग का विक्रय शोध्य धन के उन्मोचन के लिए करे.

परंतु यथा साध्य ऐसी संपत्ति के केवल उस भाग का विक्रय किया जाएगा जो ब्याज और विक्रय आदि के व्ययों को सम्मिलित करते हुए शोध्य रकम चुकाने हेतु पर्याप्त हो.

20. **विक्रय प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना.** -- अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय की पुष्टि के पश्चात् विक्रय अधिकारी, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन इन नियमों से संलग्न प्ररूप 'घ' में क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान करेगा.

स्पष्टीकरण -- अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 5 में उल्लिखित जंगम संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया का अनुसरण तब किया जाएगा जब राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में कोई जंगम संपत्ति प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई हो और शोध्य रकम मे चूक की गई हो.

अध्याय -- 6
विविध

21. **विक्रय आगम से कटौती की गई राशि के भुगतान की कालावधि.** -- यदि व्यतिक्रमी/प्रत्याभूतिदाता के उत्पादों या कृषि उपज का विक्रय राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा विपणन सहकारी सोसाइटी या विधि के अधीन गठित कोई अन्य संस्था अथवा अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन शासकीय संस्था अथवा अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा गठित संस्था के माध्यम से किया गया है तो ऐसा भुगतान विक्रय आगम की रकम में से कटौती के 7 दिवस के भीतर संबधित संस्था द्वारा विकास बैंक को दिया जाएगा.

22. **आदेशिका की तामील.** --

(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन करस्थमकर्ता या विक्रय अधिकारी द्वारा जारी मांग की सूचना तथा विक्रय की उद्‌घोषणा सहित किसी भी आदेशिका की तामील/निष्पादन, विकास बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु सशक्त आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा किया जा सकेगा.

(2) उस आदेशिका तामीलकर्ता को, जिसे आदेशिका की तामील/निष्पादन का कार्य सौंपा गया हो, उसके तामील/निष्पादन हेतु अधिनियम के उपबंधों के अधीन वही शक्तियॉ प्राप्त होगी, जो करस्थमकर्ता या विक्रय अधिकारी को प्राप्त है. वह उसे इन नियमों या अधिनियम के अनुसार तामील/निष्पादित करेगा तथा उस पर वह तारीख जिसको तथा वह रीति जिसमें उसकी तामील/निष्पादन किया गया हो, और यदि तामील/निष्पादन नही किया गया हो तो तामील/निष्पादन नहीं किये जाने का कारण पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन के साथ आदेशिका को उस करस्थमकर्ता या विक्रय अधिकारी को लौटा देगा, जिसने इसे जारी किया है.

23. **शोध्य बकाया के भुगतान की रसीद.** — किसी भी शोध्य धन का, जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन आवेदन किया गया हो, भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस रकम के लिए यथास्थिति करस्थमकर्ता या विक्रय अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करने का हकदार होगा. ऐसी रसीद इस हेतु विकास बैंक द्वारा करस्थमकर्ता या विक्रय अधिकारी को जारी रसीद पुस्तक के मुद्रित प्ररूप में होगी.

24. **साक्षियों को समन तथा दस्तावेजों की अध्यपेक्षा.** —

(1) अधिनियम की धारा 42 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित में होगा तथा उस अधिकारी या व्यक्ति की, जिसके द्वारा उसे जारी किया गया था, मुद्रा, यदि कोई हो, लगाकर अभिप्रमाणित किया जाएगा. उसके द्वारा उस व्यक्ति से उक्त अधिकारी या व्यक्ति के समक्ष कथित तारीख और स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी और उसमें यह उल्लेख होगा कि उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए या दोनों प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है और कोई विशेष दस्तावेज जिसका प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, तो उसे युक्तियुक्त शुद्धता से समन में वर्णित किया जाएगा.

परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों के अनुसार किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए समन नही किया जाएगा.

(2) केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किए गए किसी व्यक्ति द्वारा समन का पालन करना समझा जाएगा, यदि वह ऐसे दस्तावेज को स्वयं उपस्थित हुए बिना प्रस्तुत करवा दे.

(3) किसी भी व्यक्ति पर, अधिनियम के अधीन समन की तामील —

(क) उसे ऐसे व्यक्ति को देकर या प्रस्तुत करके; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले, तो उसे उसके आवास या व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान पर छोड़कर या उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को देकर या प्रस्तुत कर के; या

(ग) यदि समन जारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति को उस व्यक्ति का पता ज्ञात हो, तो उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसको भेजकर; या

(घ) यदि पूर्वोक्त साधनों में से कोई भी साधन उपलब्ध न हो, तो उसके आवास या व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य भाग में उसे चिपका कर, की जा सकेगी.

(4) जहॉ तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिशः या उस व्यक्ति के अभिकर्ता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति को परिदत्त या प्रस्तुत करता है तो वह उस व्यक्ति से, जिसे कि समन की प्रति इस प्रकार परिदत्त या प्रस्तुत की गई है, तामील की अभिस्वीकृति के लिए समन की मूल प्रति पर हस्ताक्षर पृष्ठांकित करने की अपेक्षा करेगा.

(5) तामील करने वाला अधिकारी ऐसी मामलों में, जिसमें समन की तामील की जा चुकी हो, मूल प्रति के साथ पृष्ठांकन या उपाबंध जोड़ेगा या जुड़वाएगा, जिसमें समन की तामील की तारीख एवं उस रीति का, जिसमें तामील की गई थी, उल्लेख किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति (यदि कोई हो), जिसने समन किये गये व्यक्ति या उसके आवास या व्यवसाय के स्थान की पहचान की हो, तथा जो समन के परिदान या प्रस्तुत करने का साक्षी हो, का नाम और पते का उल्लेख किया जाएगा.

(6) जहॉ वह व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति अपेक्षित है, लोक अधिकारी हो या रेल्वे कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य संस्था का कर्मचारी हो, और समन जारी करने वाला अधिकारी या व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि समन को इस प्रकार अधिक सुविधाजनक रूप से तामील किया जा सकता है तो वह समन का उस व्यक्ति

पर तामील के लिए, जिसकी उपस्थिति अपेक्षित है. रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस प्रति के साथ, जो उस व्यक्ति द्वारा रखी जाएगी, उस कार्यालय के प्रमुख को, जिसमें वह व्यक्ति नियोजित है, भेज सकेगा.

(7) जब वह व्यक्ति, जिसकी साक्ष्य अपेक्षित है, बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण समन जारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हो या वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसे पद या लिंग के कारण बुलाया जाना उचित नहीं हो तो समन जारी करने वाला अधिकारी या व्यक्ति , स्वप्रेरणा से या उस व्यक्ति के आवेदन पर, जिसका कि साक्ष्य अपेक्षित है, उसे उपस्थित रहने से अभिमुक्त कर सकेगा और उसके आवास या व्यवसाय के स्थान पर, उसका परीक्षण कर सकेगा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा विशेषरूप से प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से उसका परीक्षण करवा सकेगा.

25. **आदेशिका फीस आदि का निक्षेप किया जाना. —**

(1) कोई भी पक्षकार, जो साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति चाहता है तो वह समन जारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति के पास निम्नलिखित नगद रूप से निक्षेप करेगा :—

(क) सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा नियत किये गये मान के अनुसार आदेशिका फीस; और

(ख) उस व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति चाही गई हो, रजिस्ट्रार द्वारा नियत मान से, यात्रा करने तथा समन जारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने एवं निर्देश के लिए, देय भत्ता. .

(2) यदि ऐसा निक्षेप करने के लिए अपेक्षित पक्षकार, जमा करने की उससे अपेक्षा करने वाले आदेश की तारीख से 15 दिवस के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो समन का प्रयोग करने के लिए सशक्त अधिकारी या व्यक्ति आगे की कार्यवाही समाप्त कर सकेगा.

26. **प्रतिलिपियों का प्रदान किया जाना. —**

(1) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 45 के अधीन प्रदत्त किये गये किसी दस्तावेज या उसकी किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, तब तक साक्ष्य में ग्राह्य नही होगी जब तक कि उसमें निम्नलिखित प्ररूप में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उसके पदनाम की मुद्रा द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र अंतर्विष्ट नही हो :—

"मै/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि .... (दस्तावेज की प्रकृति विनिर्दिष्ट की जाए) की प्रविष्टि या प्रविष्टियों की उक्त............................ सत्य प्रतिलिपि है और यह कि मैंने/हमने उक्त प्रति का मूल प्रविष्टि या प्रविष्टियों से मिलान कर लिया है और उसे/उन्हे सही पाया है."

यदि किसी दस्तावेज या किसी प्रविष्टि की फोटो कापी साक्ष्य में प्रस्तुत की जाती है तो वह साक्ष्य में स्वीकार्य होगी बशर्ते कि फोटोकापी "सत्य प्रतिलिपि" के रूप में प्रमाणित हो।

(2) **उपनियम (1) में प्रमाण—पत्र —**

(क) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन ली गई प्रतिलिपियों की दशा मे उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा;

(ख) धारा 45 के अधीन प्रदान की गई प्रतिलिपियों की दशा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 24 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा.

(3) अधिनियम की धारा 45 के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रदाय के लिए उद्ग्रहित किया जाने वाला प्रभार उस दर पर होगा जैसा राज्य विकास बैंक, समय—समय पर, विनिश्चित करे.

27. **प्रतिभूति विलेख या विलेखों को रजिस्ट्रीकरण से छूट.** — अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया प्रत्येक गिरवी/बंधक विलेख या प्रतिभूति विलेख, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण से छूट होगी बशर्ते संबधित राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक, ऐसे गिरवी/बंधक विलेख या

प्रतिभूति विलेख की एक प्रति, निष्पादन के उपरांत निम्नलिखित रीति से उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को भेजता है जिसकी अधिकारिता के भीतर बंधकित आस्तियां या उसका कोई भाग स्थित है :—

(क) प्रत्येक प्रतिभूति या गिरवी/बंधक विलेख का निष्पादन ऐसे अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जो जिला विकास बैंक के शाखा प्रबंधक या मूल्यांकन अधिकारी या पर्यवेक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो तथा जिसे राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सक्षम/सशक्त किया गया हो;

(ख) उधारग्रहिता आवेदक और/या उनके विधिक उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि, अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक और/या वे व्यक्ति जो जिला विकास बैंक या राज्य विकास बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधकित की जाने वाली भूमि या जंगम/स्थावर संपत्ति में वैध रूप से हितबद्ध हो/हों, उसके/उनके प्रतिभू और/या प्रतिभूतिदाता के साथ उपर खण्ड (क) के अधीन सशक्त किये गये अधिकारी के समक्ष विलेख के निष्पादन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे;

(ग) इस प्रकार सशक्त अधिकारी ऐसे गिरवी/बंधककर्ता/प्रत्याभूतिदाता तथा उपस्थित साक्षियों की सही पहचान से स्वयं संतुष्ट होगा. वह मूल दस्तावेजों से विलेख की प्रविष्टियों तथा विषयवस्तु को सत्यापित करेगा;

(घ) सक्षम/सशक्त अधिकारी के संतुष्ट होने के पश्चात् गिरवी बंधक विलेख और/या प्रतिभूति विलेख और/या प्रतिभूति विलेख को निष्पादित किया जाएगा और चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा;

(ड.) निष्पादन के पश्चात् सक्षम/सशक्त अधिकारी तत्काल, निष्पादित विलेख की दो प्रतियां बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा एक प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर बंधकित आस्तियॉ या उनका कोई भाग आता है, निष्पादन के तीस दिन के भीतर भेजेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण पत्र की प्रति या प्रतियॉ पुस्तक क्रमांक — 1 में फाईल कर दी गई है, जैसा कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 6) की धारा 51 में वर्णित है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदनुसार एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसे बैंक की अभिरक्षा मे रखी गयी विलेख की प्रतियों के साथ रखेगा;

(च) सक्षम/सशक्त अधिकारी, निष्पादित गिरवी/बंधक विलेख या/और प्रतिभू/प्रतिभूति विलेख की एक प्रति संबंधित तहसीलदार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित कोई अधिकारी और/या किसी संबंध संगठन को, जिसकी अधिकारिता के अधीन भूमि या संपत्ति आती है, विलेख के निष्पादन के तीस दिन के भीतर, राजस्व अभिलेखों या संबंधित अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करने के प्रयोजन के लिए अग्रेषित करेगा.

28. **नवीन शाखाएँ खोलने के लिए अनुज्ञा.** — रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 52 के अधीन राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक की नई शाखाओं को खोलने हेतु पैरामीटर नियत करेगा. जब राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक एक नवीन शाखा खोलना आवश्यक समझे तो संबंधित विकास बैंक का बोर्ड, रजिस्ट्रार द्वारा नियत किए गए पैरामीटरों की पूर्ति करने के पश्चात् एक संकल्प पारित करेगा. संबंधित बैंक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ ऐसे संकल्प भेजेगा, जो सम्यक जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् और आवेदन के ब्यौरों एवं बोर्ड के संकल्प से संतुष्ट होने के पश्चात् नवीन शाखाएँ खोलने के लिए अनुमोदन दे सकेगा.

29. **निरसन तथा व्यावृत्ति.** — छत्तीसगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक नियम, 1967 तथा इन नियमों के तत्स्थानी अन्य समस्त नियम, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं;

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई बात या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में, जहां तक वह इन नियमों के उपबंध में से किसी उपबंध से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शाखा...

प्ररूप क्र. "क"
(नियम 13 (6) देखिए)

सूचना

यतः श्री/संगठन .... आत्मज/मालिक का नाम .... निवासी/स्थान .... ने राज्य / जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड.. शाखा................................ छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा 12 में वर्णित प्रयोजन .... हेतु उधार के लिए आवेदन किया है और विकास बैंक के पक्ष मे निम्नलिखित प्रतिभूति प्रस्तुत करना प्रस्तावित किया गया है :–

प्रस्तावित प्रतिभूति

प्रतिभूति का स्थान	प्रतिभूति का प्रकार भूमि/भवन/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सर्वे क्र./ प्लाट/मकान क्र. आदि प्रतिभूति की पहचान	निर्मित/अनिर्मित क्षेत्र या अन्य ब्यौरे	संपत्ति के ब्यौरे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या अन्य ब्यौरे	भू–राजस्व / कर	टिप्पणियॉं
1	2	3	4	5	6	7

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति/संगठन या हितबद्ध पक्षकार का ऐसे अटेचमेंट/प्रस्तावित प्रतिभूति या बंधक या भार आदि के अधीन कोई दावा या हित है तो वह विकास बैंक को दिनांक.......................... (सूचना जारी होने के दिनांक से स्पष्टतः सात दिनों) के या उसके पूर्व उनके दावा/आपत्ति के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति सहित कार्यालयीन समय में सूचना दें/जानकारी दें एवं उसकी रसीद प्राप्त करें.

समस्त हितबद्ध पक्षकारों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसी अटेचमेंट/प्रस्तावित प्रतिभूति या बंधक या भार के अधीन कोई दावा या हित, विकास बैंक को सूचित/अधिसूचित नही किया गया तो इस प्रकार विकास बैंक के पक्ष मे दी गयी प्रतिभूति को, संपत्तियों की किसी अटेचमेंट या बंधक या भार पर अग्रता प्राप्त होगी.

अतएव हितबद्ध पक्षकार कृपया नोट करें.

स्थान :
दिनांक:

मूल्यांकन अधिकारी के हस्तक्षर..
(नाम...)
पदनाम...
मुद्रा...

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :–

1. कोटवार ग्राम.. को सार्वजनिक स्थान में उपरोक्त सूचना चिपकाने हेतु.
2. ग्राम पंचायत कार्यालय.
3. क्षेत्र का पटवारी.
4. केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा ....
5. क्षेत्र के समस्त व्यावसायिक बैंक... .
6. राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित............................ शाखा...............को सूचना पटल हेतु.

दिनांक:

मूल्यांकन अधिकारी के हस्ताक्षर...
पदनाम एवं मुद्रा...

राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शाखा....................

प्ररूप क्र., "ख"
[नियम 13 (8) देखिए]

सूचना के प्रकाशन का प्रमाण–पत्र

आवेदक का नाम श्री/संगठन ....
पुत्र/मालिक का नाम ....
निवासी/स्थान ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित आवेदक की सूचना, छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित की गई गयी. उक्त सूचना की प्रति सार्वजनिक स्थान में चिपकाने हेतु कोटवार को तथा क्षेत्र की ग्राम पंचायत, पटवारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक कारवाई हेतु दी गई थी. उसकी एक प्रति विकास बैंक के सूचना पटल पर भी प्रकाशित की गई थी.

ऐसी कुर्की/प्रस्तावित प्रतिभूति या बंधक या भार के अधीन आपत्ति या दावा या हित, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है. अतएव प्रश्नगत उधार मंजूर किये जाने योग्य है.

या

ऐसी कुर्की/प्रस्तावित प्रतिभूति या बंधक या भार के अधीन निम्नलिखित आपत्ति या दावा या हित उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त हो गया है :–

आपत्ति की प्रकृति, ब्यौरा ....
निराकरण किस प्रकार किया गया ....
....

और इस प्रकार उधार मंजूर किए जाने योग्य नहीं है या आपत्तियां बिना किसी आधार के है एवं उधार मंजूर किए जाने पर विचार किया जा सकता है. (कारण विनिर्दिष्ट करें)

स्थान : **हस्ताक्षर**

दिनांक : मूल्यांकन अधिकारी
नाम तथा पदनाम मुद्रा.............................

टिप्पणी : जो लागू न हो उसे काट दीजिये.

राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
शाखा...

प्ररूप क्र. "ग"
(नियम 13(11) देखिए)

.... के समक्ष

शपथ–पत्र

मैं .... आत्मज .... आयु................. वर्ष .... निवासी .... तहसील .... जिला .... स्वयं/संरक्षक/मुख्य कार्यपालक/कार्यरत भागीदार/संचालक/अध्यक्ष की हैसियत से एतद्द्वारा शपथ पर गंभीरतापूर्वक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं –

1. यह कि मैं स्वयं व्यक्तिगत हैसियत से संविदा करने में सक्षम हूं एवं उधार ले रहा हूं :–

या

मैं न्यायालय के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अव्यस्क .... आयु .... वर्ष .... के लिए नियुक्त संरक्षक हूं तथा संपत्ति के विकास/ईकाई की संस्थापना के लिए उधार लेने का हकदार हूं.

या

मैं निम्नलिखित संगठन/संस्था का मुख्य कार्यपालन/कार्यरत भागीदार/संचालक /अध्यक्ष (जिस नाम से भी पुकारा जाए) हूं, जिसने मुझे शपथ पत्र देने तथा विकास बैंक से उधार लेने हेतु सशक्त किया है–

(क) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी, अर्थात :– (रजि. क्र. ....)

या

(ख) छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक ट्रस्ट, अर्थात................................ (रजि. क्र. ....)

या

(ग) विधि .... के अधीन स्थापित/गठित कोई फर्म/कंपनी/निगम/निगमित निकाय अर्थात् रजि. क्र. ....)

या

(घ) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, अर्थात .... (रजि. क्र. ....) जो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अनुमोदित है.

2. यह कि मैने निम्नांकित, जंगम/स्थावर संपत्ति उधार लेने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की है–
   (क) स्थान, जहां संपत्ति स्थित है ....
   (ख) खसरा क्र./मकान क्र./अन्य ब्यौरे ....
   (ग) संपत्ति का क्षेत्र/मशीनों के ब्यौरे ....
   (घ) भू–राजस्व/कर रू. ....
   (ड) संपत्ति की पहचान के लिए अन्य ब्यौरे ....
   (च) संपत्ति का अनुमानित मूल्य ....

3. यह कि उपरोक्त जंगम/स्थावर संपत्ति समस्त विल्लंगमों से मुक्त है.

4. यह कि उपयुक्त विहित संपत्ति मेरे/हमारे वास्तविक कब्जे में है.

5. यह कि मुझे विकास बैंक के पक्ष में ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने का अधिकार/शक्ति है.

6. यह कि मेरी छत्तीसगढ़ में 10 हेक्टर से अधिक भूमि नहीं है.

7. यह कि मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य के प्रवर्ग में हूं.

8. यह कि एतद्द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यदि प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत जंगम/स्थावर संपत्ति के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित घोषणा मिथ्या या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो वह दंड संहिता, 1860 के अधीन दण्डनीय होगी और मेरी/हमारी अन्य समस्त जंगम/स्थावर संपत्ति पर विकास बैंक का प्रथम भार होगा और ऐसी समस्त अन्य संपत्तियां, मेरे/हमारे द्वारा उधार लेने के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति में सम्मिलित समझी जाएगी.

हस्ताक्षर..................................

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ... उपरोक्त उल्लिखित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूं कि उपयुक्त घोषणा के पैरा–1 से 8 तक की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई बात छिपाई नहीं है । सत्यापन .... पर दिनांक .... मास .... वर्ष 20...... को किया गया।

हस्ताक्षर..................................

अभिसाक्षी

टिप्पणी : जो लागू न हो, उसे काट दीजिये.

राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक मर्यादित
शाखा ....

प्ररूप क्र. "घ"
(नियम 20 देखिए)

विक्रय प्रमाण–पत्र

1. आवेदक बैंक–राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित ....शाखा ....

2. व्यतिक्रमी का नाम/संगठन का नाम, जिसकी स्थावर संपत्ति विक्रय की गई ....

3. क्रेता का नाम ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मर्यादित .... (रजि. क्र. ....) शाखा .... के छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अधीन दिए गए विक्रय आवेदन पत्र क्र. .... वर्ष .... के अनुसरण में,

1. व्यतिक्रमी श्री/संगठन .... आत्मज/रजि. क्र. .... निवासी/स्थान . ... तहसील .... जिला .... की स्थावर संपत्ति का लोक नीलाम द्वारा विक्रय किया गया.

2. श्री/संगठन .... आत्मज/रजि. क्र. .... निवासी/स्थान .... तहसील .... जिला .... को नीचे वर्णित स्थावर संपत्ति की दिनांक .... को की गई लोक नीलामी में क्रेता घोषित किया गया.

विक्रय आगम रू. .... बैंक को पूर्ण समाधान प्रद रूप में प्राप्त हो गया है तथा बैंक की रसीद क्र. .... दिनांक .... क्रेता को दे दी गई है.

स्थावर संपत्ति के उक्त विक्रय की छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी, अर्थात् .... रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी.................................... के पुष्टि आदेश क्र. .... दिनांक .... द्वारा पुष्टि कर दी गई है तथा विक्रय पूर्ण हो गया है, और संपत्ति, उसके विक्रय के समय से ही क्रेता में निहित समझी गई है.

विक्रय की गई संपत्ति के ब्यौरे

1. रजिस्ट्रीकरण जिला ....
2. नगर पालिका का निगम/नगरपालिका/स्थान ....
3. जिला ....
4. तहसील ....
5. ग्राम/मोहल्ला ....
6. ग्राम का बन्दोबस्त क्र./वार्ड क्र. ....
7. सर्वे क्र./मकान क्र. ....
8. स्थानीय नाम ....

9. क्षेत्र ....एकड़/...वर्गफीट
10. अधिकार ....
11. भू राजस्व/गृह कर ....
12. नीलामी का दिनांक ....
13. पुष्टिकरण का दिनांक, जब विक्रय पूर्ण हुआ ....
14. रकम रू. .... जिसमें क्रेता को विक्रय की गई (विक्रय की कीमत)

छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा 30 के अधीन विक्रय प्रमाण–पत्र क्रेता को, उसे संबंधित उप–रजिस्ट्रार कार्यालय में स्थावर संपत्ति से संबंधित उसके रजिस्टर में रजिस्ट्रांकित करवाने और राजस्व प्राधिकारी/संबंधित नगर पालिका द्वारा भू–अभिलेख/गृह अभिलेख की प्रविष्टियां भी सम्यक रूप से नामांतरित करवाने के लिए दिया गया ।

स्थान :–
दिनांक :–

विक्रय अधिकारी
मुद्रा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक/एफ–15–01/15–02/2009/1.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–15–01/15–02/2009/1, दिनांक 27 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

Raipur, the 27th January, 2009

No./F-15-01/15-02/2009/1. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 56 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (No. 20 of 2000), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.-**
(1) These rules may be called the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank rules, 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Adhiniyam" means the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas bank Adhiniyam, 1999 (No. 20 of 2000);

(b) "Applicant" means,-

(i) In the case of an applicant under Chapter IV of the Adhiniyam the Board of "State Development Bank or District Development Bank" as the case may be;

(ii) In the case of an applicant under Chapter V of the Adhiniyam the Board of a "State Development Bank or District Development Bank" or any person authorised by such Board;

(c) "Committee" means Board of Directors of State Development Bank or District Development Bank or person/committee to whom its management is entrusted;

(d) "Distrainer" means a person or persons who is/are empowered by Registrar, to distrain and sell the produce of the mortgaged land including the standing crops thereon and other movable property belonging to the defaulters and also the movable property of investment and its produce and the property offerred as security by the guarantor and his other property;

(e) "Development Bank" means the State Development Bank or District Development Bank as defined in the Adhiniyam as the case may be;

(f) "Fund" means the guarantee fund constituted under section 9 of the Adhiniyam;

(g) "Government Security" means a security created and issued by the Central Government or State Government, for the purpose of raising a public loan and/having any of the forms specified in or prescribed under clause (2) of section (2) of the Public Debt Act, 1944;

(h) "Section" means the Section of the Adhiniyam ;

CHAPTER-2
FUNDS AND RESOURCES

3. **Raising of Funds.-** Under section 4 of the Adhiniyam, the State Development Bank with prior approval of the State Government, and as per condition, procedure and time limit framed by the Registrar, shall raise funds through the following resources,-

(a) Debentures,
(b) Bonds,
(c) Loans,
(d) Deposits,
(e) Donations, and
(f) Grants

4. **Circumstances under sub-section (1) of Section 9.-** The Guarantee fund shall be constituted for the purpose of meeting losses that may arise on account of loans advanced by the State Development Bank of District Development Bank on the securities furnished in favour of State Development Bank of transferred under section 20 of the Adhiniyam to State Development Bank not being fully recovered due to the following circumstances,-

(a) That the full recovery of loan is not possible on account of floods, famine. earthquake, fire, failure of crops or destruction of the property made through investment or any other natural calamities;

(b) That the immovable property offered as security for loan has been acquired by the State Government in public interest or such immovable property has become unproductive due to construction of Public Dam, Tank etc. in consequence of submersion into water the borrower has become incapable to repay loan of State Development Bank or District Development Bank.

5. **Guarantee Fund.-** The Guarantee fund to be constituted under sub-section (1) of Section 9 of Adhiniyam shall he called Chhatlisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank guarantee fund in which,-

(a) All moneys received from the State Government by way or grants, loans, advance or otherwise,

(b) All interests and profits arising from any investment of or from any transaction in connection with any money of the fund,

(c) The amount of the contribution received from the State Development Bank or District Development Bank; and

(d) Such other sums as may be received from any other source whatsoever for being credited to the fund shall be credited.

6. **Contribution to the Guarantee Fund.-** The State Development Bank and District Development Banks Shall contribute out of their net profits at the rate of two percent and one percent respectively every year. In case of no net profit this rate shall be 0.02 percent and 0.01 percent respectively of the total loan disbursement of the year.

7. **Utilization and investment of the Guarantee Fund:-**

(1) The fund shall vest in the Registrar and shall be utilized for the purpose of meeting losses that might arise on account of loans advanced by the State Development Bank or District Development Banks on the security of mortgages under sub-section (1) of Section 15 of the Adhiniyam not being fully recovered due to circumstances prescribed in rule 4.

(2) The Registrar may keep or direct to keep this fund in current account of the Bank approved by the State Government, in this behalf in joint names of Registrar and Chhattisgarh State

Development Bank and operated Jointly by the said authority and such sum of money out of this fund as may be determined by the State Government shall be invested in such manner as may be approved by the State Government.

8. **Accounts and Audit of Guarantee fund, -**

(1) The Registrar shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts and the Balance Sheet in such form as the State Government may determine.

(2) The accounts of the fund shall be audited by the officer authorised by the Registrar in this behalf in such intervals as it may specify and expenses so incurred in this connection with such audit shall be payable from this fund.

9. **Annual Report.-** The Registrar shall prepare a report of the activities during the year and submit the report to the State Government every year.

10. **Authority competent to sanction the grant from the Fund -** On receipt of the application from the State Development Bank for sanction or grant from the fund the competent authorities to sanction grant as per limit shall be as under,-

	Authority	**Amount**
1.	The Registrar	Upto Rs, 50,000/-
2.	State Government	Exceeding Rs. 50,000/-

11. **Application for Meeting Losses from Guarantee fund.-**

(1) The application for meeting the losses from the Guarantee fund shall be in the form determined/prescribed by the Registrar and shall be presented by the State Development Bank to the Registrar.

(2) On receipt of the application the Registrar shall either make an enquiry himself or appoint an officer as to the correctness of the details set out in the application.

(3) After the satisfaction of enquiry the Registrar shall sanction grant up to the prescribed limit under Rule 10 or shall make his recommendations to the State Government for sanction. The State Government may pass such orders in the case as it may deem fit.

CHAPTER-3
LOANS

12. **Loans to be advanced by the Development Bank.-** The loans to the members as specified in Section 13 of the Adhiniyam may he granted by the State Development Bank or District Development Bank as the case may be which shall be within the limit as decided by the financing agency against the security or securities as may be decided by the Registrar from time to lime. Loans may also be granted for schemes sponsored by Khadi Gramodyog Commission Mumbai and for implementation of different schemes or other financial institutions. In addition to the Affidavit or the applicant, the affidavit by the Guarantor under section 18 shall also be taken in connection with the offered security property,

13. **Procedure for Submission and Consideration of application for loans from Development Banks.-**

(1) All applications for loans from the State Development Bank or District Development Banks shall be made in the form as may be decided by the State Development Bank from time to time. The form shall among other things contains a list or document. which are required to be submitted for purpose of dealing with the applications.

(2) Every District Development Bank, shall keep sufficient stock of printed copies of the forms of loan applications and shall supply them to the intending borrower on payment of such fees as may be determined from time to time by Development Banks.

(3) Application for loan shall be addressed to the Managing Director/ General Manager/Manager/Branch Manager or other Authorised Officer of the State Development Bank/District Development Bank who will be called "Receiving officer".

(4) The application, with the copies of necessary documents and the amount of all fees determined by the State Development Bank from time to time and the amount equivalent to the value of one share of the Bank shall be submitted by the applicant to the Receiving officer mentioned in sub-rule (3).

(5) On receipt of an application for loan, the Receiving Officer shall put his initials on the application and mention his name, designation and the date of receipt of the application.

(6) After an application for loan has been received, the Receiving Officer shall verify whether it contains all the necessary particulars and is accompanied by the necessary documents. If any details are lacking, he shall get the application completed by the applicant, and immediately it shall be submitted to the valuation officer for publication of notice and valuation. The valuation officer shall immediately publish a notice under sub-section (2) of Section 19 of the Adhiniyam in form No. 'A' appended to these rules calling upon all persons interested to file objection or claim or interest within seven days from the date of notification.

(7) The valuation officer shall be the officer appointed/authorized by State Development Bank for publication of notice/enquiry appraisal of loan application and valuation.

(8) A Security furnished in favour of the State Development Bank or District Development Bank shall take precedence over any attachment or mortgage or charge or claim over the properties, if the claim or interest under such attachment or mortgage or charge has not been brought into notice to the Development Bank by the interested person/institution within 7 days from the date of such notice. If any attachment or mortagage or charge or claim or interest is noticed within 7 days by the interested person/institution the Valuation officer shall dispose it off on merits and he shall give a report in the form 'B' and simultaneously he will also do the valuation work by actually visiting the spot.

(9) The Valuation Officer shall do the enquiry and valuation of the property of applicant and/or the property of the Guarantor and after visiting the spot/proposed improvement/security and conducting inspection himself shall submit his report within ten days to the Bank in the form and manner as may be decided by State Development Bank from time to time.

(10) After satisfaction of such enquiry properly conducted and after additional information enquiry if necessary for full and complete satisfaction, the Chief Executive Officer of the Development Bank shall examine the case and put up before the Loan sub committee or the officer authorised by it for sanction. The Development Bank shall pass his final sanction order within 6 days of the receipt of the report and communicate to the applicant.

(11) After sanction of loan by State Development Bank/District Development Bank, the action will be taken to pledge/mortgage etc, the security of movable/immovable property of the borrower and guarantor in favour of the Development Bank. In such action promise/affidavit of the borrower and guarantor in Form 'C' appended to these rules and pledge/mortgage Deed etc. regarding securities under sub-section (1) of Section 15 shall be included. The format of pledge/mortgage Deed etc. of the property of borrower or guarantor shall be decided by the State Development Bank from time to time.

(12) In case of rejection of application for loans, the reasons thereof shall be communicated by the Bank to the applicant. When the loan is sanctioned, the concerned Development Bank, in connection with such loan, shall communicate to the applicant regarding execution of

pledge/mortgage Deed, surety Deed and/or Guarantee Deed etc. and the date and place when the applicant is required to remain present along with papers and proposed surety and/or guarantor, information about the sanctioned of loan important conditions of its utilisation and compliance will also be given.

(13) The applicant before receiving the amount of the loans or the first installment of the loan shall purchase share of the Bank to such extent as may be required by the State Development Bank or District Development Bank. The Development Bank shall issue a receipt to the applicant giving full particulars of the amount paid by him from time to time.

(14) The amount of loan to be sanctioned on the basis of an affidavit made under sub-section (l) of section 18 shall not exceed the limit of Rupees Twenty lacs.

(15) Failure to comply with any time limits specified in these rules shall not in any manner adversely affect the validity of the loan sanctioned and/or disbursed by a Development Bank.

CHAPTER-4
DISTRAINT AND SALE OF PRODUCE

14. **Application for distraint and sale of produce.-** The application for distraint and sale of produce under sub-section (1) of Section 23 of the Adhiniyam shall be submitted in such form as may be issued by the Registrar, under the signature of the person authorised by the Committee of the Bank. On receipt of the application the Registrar shall if satisfied that the particular set forth in the application are correct, after passing the distraint order, prepare a demand notice in duplicate in such form as may be issued by the Registrar and the same shall be forwarded to the concerned distrainer.

15. **Procedure for distraint and sale of properties.-**

(1) As soon as distraint of produce and properties are made, distrainer shall prepare a list of produce and other movable properties distrained in such form as may be issued by the Registrar and copy of such list shall be delivered to the defaulter/guarantor or any member of his/her family present at the time of distraint. The distrainer shall also give intimation in such form as may be issued by the Registrar to the defaulter/guarantor showing date, place and time on which distraint properties will be sold.

(2) The distrainer shall make proper arrangements for the custody and preservation of the distrained property during the interval between the distraint and sale in such form as may be issued by Registrar. The defaulter/guarantor may if required by the distrainer under take the custody and preservation of the property distrained for which a promissory bond in writing is given by him. Such custodian/preserver shall be responsible for any loss or damage caused to the distrained property owing to his/her negligency, If the distrained property is tractor, machinery etc. its custody and preservation may be kept under the supervision of Police-thana/Chowki. If cattle is distrained, it may be kept in custody in cattle pound by the distrainer at the cost of the defaulted borrower.

(3) No Distraint shall be made before sunrise and after sunset.

(4) If crops of the land or processing units or ungathered products or other products belonging to a defaulter/guarantor are distrained, the distrainer may cause them to be sold, when fit for being reaped or gathered in the season and stored in a proper place until sold.

(5) It shall be lawful for the distrainer to force open any stable, cow house, Granary, godown, outhome, agriculture, areahome, processing unit/unit or any building or any fenced area or other building and to enter any dwelling house related to the defaulter/guarantor the out door of which may be opened and to break lock/open the door of any room in such dwelling house and to distrain the products of the mortgaged property or the produce of mortgaged land or the other movable property stored there in.

Provided that it shall not be lawful for such distrainer to enter any apartment in such dwelling house used for the residence of women except as hereinafter provided.

(6) (a) Where a distrainer has reason to suppose that the produce of the mortgaged land and/or products of the unit financed belonging to the defaulter/guarantor is lodged within a dwelling house, the outer door of which is shut or within any apartment used as the residence for the women the distrainer shall represent the written fact to the officer-in-charge of nearest police station.

(b) On such representation the officer-in-charge of the said Police station shall send a police officer to the spot, in the presence of whom the distrainer may force open the outer door of any room within the home except the room of residence for women and enter forcibly.

(c) The distrainer may also in the presence of the police officer, after due notice given for the removal of women from their residence and after furnishing means for their removal in a suitable manner enter the said room and may distrain the produce of the mortgaged land or products of the financed unit or other movable property if any, deposited therein but such produce if found shall be removed immediately from such rooms after which they shall be left free to the former occupants.

(7) (a) The distrainer shall cause to proclaim the date, time and place of the intended sale to be made by beat of drums or loudspeakers or publication in news papers or pamphlets distributions or affixing poster in the village in which the defaulter/guarantor resides or the produce is kept and in such other place or places as the distrainer may consider necessary to give due publicity to the sale.

(b) The sale shall take place after the expiration of a period of 15 days from the date of the service of the notice of demand/distraint referred to in sub-section (1) or Section 25 of the Adhiniyam:

Provided that where the property distrained is subject to speedy and natural decay, the distrained may sell it at any time before the expiry of the said period of 15 days.

(8) At the appointed date, time and place the distrainer shall, subject to the order, if any, made under sub-section (3) of Section 23 of the Adhiniyam sell by auction the distrained property or such other part thereof as may be necessary in one or more lots as the distrainer may consider desirable and dispose of the same to the highest bidder.

(9) The price of the property sold under sub-rule (8) shall be paid in cash at the time of sale or as soon thereafter as distrainer may appoint and purchaser shall not be permitted to carry away any part of the property until he has paid the price in full.

(10) If the purchaser fails to pay the price the property shall be resold and the proceeds of such resale shall be applied in the manner provided in Section 25 of the Adhiniyam. Any deficiency of price which may happen on the resale and all expenses connected with such resale shall at the instance of either the applicant or the defaulter/guarantor be recoverable from the defaulting purchaser under the provisions relating to the execution of an award of an arbitration contained in the rules made under the Chhattisgarh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

(11) Where on an application made in this behalf it is proved to the satisfaction of any civil court of competent Jurisdiction that any property which has been distrained under these rules has forcibly or clandestinely removed by any person, the court may order forthwith such property to be restored to the distrainer.

Explanation :- For the purpose of this clause "Civil Court of Competent Jurisdiction" shall mean the Civil Court which would have jurisdiction to entertain a suit to enforce the mortgage..

(12) Where prior to the date fixed for sale a defaulter or any person acting in his behalf or any person claiming an interest in the property distrained pays the full amount due including interest, traveling allowance and other expenses incurred in distraining and proclaiming the sale the distrainer shall not proceed with the sale and shall release the property forthwith.

(13) (a) Where any claims is preferred by any person other than the person specified in sub-rule (12) to any right or interest in the distrained property, the distrainer shall investigate the claim and dispose it of on its merits, provided that no such investigation shall be made where the distrainer considers that the claim was designedly or unnecessarily delayed.

(b) Where the property to which the claim is applied has been advertised for sale the distrainer may postpone the sale pending the investigation of the claim.

CHAPTER-5
PROCEDURE FOR SALE OF PLEDGED/MORTGAGED PROPERTY

16. (1) For the sale of pledged/mortgaged etc. of movable/immovable property under the provision of Chapter 5 of the Adhiniyam the following procedure shall be observed

(a) If the amount becomes overdue the Development Bank shall give notice to all the persons specified in sub-section (3) of Section 26 of the Adhiniyam in such form as may be issued by Registrar stating to deposit the amount within 2 months.

Simultaneously if the loan is given by the District Development Bank, the District Development Bank shall apply to the State Development Bank for authorisation of sale under sub-section (1) of Section 26 of the Adhiniyam in such form as may be issued by the Registrar.

(b) On receipt of the application from District Development Bank, the State Development Bank after enquiry if any objection received shall give permission to exercise the powers under Section 26 of the Adhiniyam is such Form as may be issued by the Registrar.

(c) On receipt of the authorisation from the State Development Bank if any the District Development Bank shall apply to the sale officer for conducting sale. In case of State Development Bank no such authorisation shall be required.

(d) The application shall be submitted to the Sale Officer in such form as may be issued by the Registrar and shall be signed by the person duly authorized by the committee of State Development Bank or District Development Bank. It shall state the amount due for recovery including interest, expenses incurred in the service of the notice referred to in clause (a) of sub-section (3) of Section 26 of the Adhiniyam and the names and address of the person on whom notice was served under the said clause. It shall also contain the description of the movable/ immovable property to be proceeded against with its sufficient identification and in case such property can be identified by boundaries in a record of settlement and/ or survey, the specification of such boundaries and/or numbers.

(2) On receipt of the application the sale officer shall give a notice in writing to all persons referred to in clause (a) of sub-section (3) of Section 26 of the Adhiniyam in such form as may be issued by the Registrar stating the amount claimed by the bank including expenses incurred by it for the service of notice and particulars of the properties to be sold in case of non-payment within a time to be allowed by the sale officer.

(3) If before the expiration of the time allowed in the notice issued under sub-rule (2) the amount specified in such notice is not paid the sale officer shall after giving notice to the development Bank on whose behalf the application is made proceed to sell the movable/immovable property specified in the application in the following manner :-Proclamation of sale in such form as may be issued by the Registrar be published by affixing a notice in the office of the principal officer of the Co-operative Department in the district and in the Revenue office of Tehsil atleast 10 days before the date fixed for the sale and also by beat of drum or through loudspeaker in the village where the pledged/charged/mortgaged movable/immovable property is situated and the place where such pledged/charged/mortgaged property is to be sold on 3 consecutive days prior to the date of sales. The proclamation shall state the date, time and place of sale and specify as fairly and accurately as possible:

(i) The movable/immovable property to be sold

(ii) The revenue or rent/tax payable in respect thereof

(iii) The amount for the recovery of which the sale is ordered, and

(iv) Any other matter which the sale officer considers material for purchasers to know in order to judge the nature and value of the movable/immovable property.

If the sale officer feels necessary he shall publish sale advertisement through news papers, or pamphlets of posters.

(4) The sale shall be by public auction. Each bidder shall have to deposit Rs. 1000/- as security to bid the auction. In case of his highest bid, this amount shall be adjusted against the bid amount, In case the bid is not accepted, this amount shall be refunded to the depositor immediately in cash. In case of default by the highest bidder/ purchaser this amount shall be forfeited in favour of the State Development Bank or District Development Bank as the case may be. When any pledged/charged/mortgaged movable/immovable property offered as security for the loans is sold under these rules the sale shall be subject to prior encumbrances on the property, if any. The sale shall be by public auction to the highest bidder. No security deposit shall be required if the bidder is the State Development or District Development Bank.

(5) In case of immovable property a sum of money equal to 15 percent of the purchase money (bid amount) shall be deposited by the purchaser to the sales officer at the time of purchase and in default of such deposit the immovable property shall be resold forthwith:

Provided that where the committee of the development bank at the instance of which the immovable property is sold is the purchaser and is entitled to set off the purchase money against the amount due under sub-rule (10) the sale officer shall dispense with the requirement of this clause. In case or movable property the entire purchase money (bid amount) is to be deposited to the sale officer.

(6) The remainder of the purchase money of immovable property shall be paid within 15 days from the date of sale, provided that in calculating the amount to be so paid, the purchaser shall have the advantage of any set off, to which he may be entitled under sub-rule (10);

(7) In default of payment within the period mentioned in sub-rule (6), if the sale officer thinks fit, after defraying all costs, charges and expenses of the sale the deposit may be forfeited in favour of the State Development Bank or District Development Bank and the defaulting purchaser shall he deprived of all the claims to the movable/immovable property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

(8) Any deficiency in price which may happen on the resale by reason of the purchaser's default and all expenses connected with such resale shall, at the instance of either the applicant or the mortgager/guarantor, be recoverable from the defaulting purchaser under the provisions relating to the execution of an award of an arbitrator contained in rule made under the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

(9) Every resale of pledged/mortgaged movable/immovable property in default of payment of the purchase money within the period allowed for such payment shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner and for the period herein before prescribed for the sale.

(10) Where the Committee of the Development Bank, at whose instance the movable/immovable property is sold, purchases, the purchase money and the amount due shall be set off against one another and the sale officer shall record satisfaction of payment of the due money in whole or in part accordingly

17. **Release of property attached -** Where prior to the date fixed for sale, the mortgagor/guarantor or any person acting on his behalf or any person claiming an interest in the pledged/mortgaged, movable/immovable property or in the property kept as security tenders payment to the full amount due including interest, traveling expenses and other expenses incurred in connection with the sale of the movable/immovable property, the sale officer shall not proceed with the sale.

18. **Application to set aside the Sale on deposit.-**

(1) The sale officer shall on the conclusion of the sale make a report to the Development Bank regarding the result of the sale.

(2) Whenever the sale of the pledged/charged/mortgaged movable/immovable property/ security is set aside under sub-section (1) of Section 28 of the Adhiniyam the deposit or the purchase money, as the case may be, shall be returned to the purchaser together with a sum as specified in Section 28 of the Adhiniyam.

19. **Sale of immovable property to be proportionate to arrears due.** -It shall be lawful for the sale officer to sell the whole or any portion of the pledged/ charged/ mortgaged of movable/ immovable property/security in discharge of money due:

Provided that so for as may be practicable, only that portion of such property shall be, sold which may be sufficient to discharge the amount due including interest and expenses of sale etc.

20. **Issue of sale certificate.-** After confirmation of the sale by the Registrar or the officer Authorised by him the sale officer under sub-section (3) of Section 28 of the Adhiniyam shall give the sale certificate to the purchaser under sub-section (i) of Section 30 of the Adhiniyam in the form 'D' appended to these Rules.

Explanation.- The procedure of the sale of movable property mentioned in Chapter 5 of the Adhiniyan and these Rules shall be followed only when any movable property is pledged as security in favour of State Development Bank or District Development Bank and the default has been made for the due amount.

CHAPTER-6
MISCELLANEOUS

21. **Period of payment of the amount deducted from sale proceeds.-** If the sale of the products or Agricultural produce of the defaulter/guarantor is made by State Development Bank or District Development Bank through Marketing Co-operative Society or any other institution setup under Law or Institution constituted by the Government or Semi Government institution under sub-section (2) of Section 39 of the Adhiniyam such payment shall be made by the concerned institution to the development Bank within 7 days of deduction from the amount of sale proceeds.

22. **Service of process.-**

(1) Any process including demand notice and proclamation of sale issued by a distrainer or sale officer under the Adhiniyam or these rules may be served/executed by a process server empowered for this purpose by the development Bank;

(2) The process server entrusted with the service/execution of any process shall have for its service/execution the same powers as his distrainer or the sale officer empowered under the provision of the Act. He shall serve/execute it in accordance with these rules or the Adhiniyam and endorse thereon the date on, and the manner in which it was served/executed or, if it was not served/executed the reason why it was not served/executed, and shall return the process with such endorsement to the distrainer or the sale officer, who issued it.

23. **Receipts for payment of arrears due.-** Every persons making a payment towards any money due for recovery of which application has been made under these rules shall be entitled to a receipt for the amount signed by the distrainer or the sale officer, as the case may be. Such receipt shall be in the printed form of the Receipt Book issued by Development Bank to Distrainer or Sale officer.

24. **Summons to witness and requisition of documents.-**

(i) Every summon issued under section 42 of the Adhiniyam shall be in writing and shall be authenticated by affixing the seal, If any, of the officer or person by whom it was issued. It shall require the person to appear before the said officer or person at a stated time and place and shall specify whether his attendance is required for the purpose of giving evidence, or to produce a document or for both purposes and any particular document the production of which is required shall be described in the summons with reasonable accuracy:

Provided that no person shall be summoned for attendance as per the restrictions imposed under the code of Civil Procedure, 1908.

(2) Any person summoned merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summons, if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same.

(3) The service of summons under the Adhiniyam, on any person may be effected:-

(a) By giving or tendering it to such person, or

(b) If such person is not found by leaving it at his last known place of abode or business or by giving or tendering it to some adult member of his family or his authorized agent, or

(c) If the address of such person is known to the officer or person issuing the summons by sending it to him by registered post, or

(d) If none of the means aforesaid is available by affixing it in some conspicuous part of his last known place of abode or business.

(4) Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the person concerned personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require the person to whom the copy is so delivered or tendered to sign an acknowledgement of service endorsed on the original summons.

(5) The serving officer shall in all cases in which the summons has been served add or cause to be added to the original summons an endorsement or annexure stating the date when and the manner in which, the summons was served and the name and address of the person (if any) identifying the person served, or his place of abode or business and witnessing the delivery or tender of the summons.

(6) Where the person whose attendance is required is a public officer or if the servant of a Railway Company or Local Authority or employee of other institution, the officer or the persons issuing the summons may, if it appears to him that summons may be most conveniently so served send it by registered post acknowledgement due for service on the persons whose attendance is required to the head of office in which he is employed together with a copy to be retained by that person.

(7) When the person whose evidence is required is unable, from sickness or infirmity, to attend before the officer or person issuing the summons, or is a person whom by reason of rank or sex it may not be proper to summon, the officer or person issuing the summons may, of his own motion or on an application of the person whose evidence is required dispense with his appearance, and examine him at his place of abode or business or cause him to be so examined, by a person specially deputed by him for the purpose.

25. Deposit of process fees etc.-

(1) A party who desires the attendance of a person either to give evidence or produce a document shall deposit with the officer or person issuing the summons in cash,-

(a) Process fees in accordance with the scale fixed by the Registrar of Co-operative Societies: and

(b) Allowances payable to the person Whose attendance is desired for traveling to and appearing before the officer or person issuing the summons, and referring in accordance with the scale fixed by the Registrar.

(2) If the party required to make such deposit fails to do so within 15 days from the date of the order requiring him to make the deposit, the officer or person empowered to using the summons may drop further action.

26. Granting of copies -

(1) No copy of a document or of any entry therein under sub-section (3) of Section 42 or granted under Section 45 shall be admissible in evidence unless it contains a certificate in the following form and signed by the competent authority authenticated by affixing his seal of designation.

"I/We certify that the above. .... is a true copy of any entry or entries in the.................................... (nature of the document to be specified) and that I/We have compared the above copy with the original entry or entries and found it/them to be correct."

If photocopy of any document or its entry is produced in evidence it will be acceptable in evidence provided it is certified to be "true copy".

(2) **The certificate in sub-rule (1) shall in the case of copies, -**

(a) Taken under sub-section (3) of Section 42 be signed by the officer or person authorised by or under sub-section (1) of the said section;

(b) Granted under Section 45, be signed by the person specified in rule 24 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962;

(3) The charge to be levied for the supply of a certified copy under Section 45 of the Adhiniyam shall be at the rate as may be decided by the State Development Bank from time to time.

27. Exemption from registration of Security deed or deeds.- Every pledge/mortgage deed or the security deed executed in favour of State Development Bank or District Development Bank under sub-section (1) of Section 15 of the Adhiniyam shall be exempted from registration under Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) or any other Act inforce at that time provided that concerned State Development Bank or District Development Bank sends a copy of such pledge/mortgage deed or security deed after execution to the Registration officer under whose jurisdiction the mortgaged assets or a portion of that

lies in the following manner:-

(a) Every security or pledge/mortgage deed shall be executed before an officer who is not below the rank of Branch Manager of District Development Bank or Valuation Officer or Supervisior and who is competent/empowered by general or special order of State Development Bank or District Development Bank;

(b) Loanee applicant and/or their legal successor, representatives/in case of minor his guardian and/or those persons who are interested legally with the land or movable/immovable properties to be pledged/ mortgaged in favour of District Development Bank or State Development Bank, his surety and/or along with guarantor shall present themselves before the officer empowered under clause (a) above personally for execution of deed;

(c) Officer so empowered shall himself satisfy with such accurate pledge/mortgager/Guarantor and correct identification of present witnesses, He/She will verify the entries and subject matter of deed from the original documents;

(d) After satisfaction of the competent/empowered officer the pledge mortgage deed and/or Security deed and/or guarantee deed shall be executed and shall be submitted in four copies;

(e) After execution the competent/empowered officer shall immediately keep two copies of executed deed in safe custody of the bank and send a copy to the registration officer under whose jurisdiction mortgaged assets or a portion thereof lies within 30 days of execution and in order to ensure that a copy or copies of registration letter has been filed in Book No. 1 as described in Section 51 of Registration Act, 1908 (No. 6 of 1908) by registration officer obtain a certificate from registration officer accordingly and shall keep it with copies of deed kept in the Bank's custody;

(f) The competent/empowered officer shall forward a copy of executed pledge/ mortgage deed or/and surety/ security deed to concerned Tehsildar or any officer designated by the State Government for this purpose and/or any concerned organisation under whose jurisdiction land or property lies within 30 days of the execution of deed for the purpose of necessary entry in revenue records or concerned records.

28. **Permission of opening of a new branches.-** The Registrar, under Section 52, of the Adhiniyam shall fix the parameters for opening of new branches of State Development Bank or District Development Bank. When the State Development Bank or District Development Bank thinks necessary to open a new Branch, the Board of the concerned Development Bank shall pass the resolution after fulfilling the parameters fixed by the Registrar. The Chief Executive Officer of concerned Bank shall send such resolution along with application to the Registrar, who after due enquiry which he thinks proper and after satisfaction from the details of the application and resolution of the Board, may give approval for opening of new branches.

29. **Repeal and Savings.-** The Chhattisgarh Sahakari Bhoomi Vikas Bank Rules, 1967 and all other rules corresponding to these rules are hereby repealed:

Provided that any thing done or any action taken under the rules so repealed shall, in so far as they are not inconsistent with any of the provisions of these rules. deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

State/District Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Branch....................

FORM No. A
[See Rule 13 (6)]

Notice

Whereas Shri /Organisalion ....
Son of /proprietor's name...
Resident/Place of ....

has applied for loan for the purpose of .... Which is a purpose mentioned in Section 12 of Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 from the State/ District Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. ......Branch. .... and has proposed to furnish the following security in favour of Development Bank.

Proposed Security

Place of Security	Kind of security land/building/others (specify)	Survey No. /Plot/House No./etc. identification of security	Area of construction/ unconstructed /or other details	Details of property of East, West, North, South or other details	Land Revenue/ Tax	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Notice is hereby given that if any person/organisation or interested party has any claim or interest under such attachment/proposed security or mortgage or charge, he/she/ it must inform/give knowledge to the Development Bank on or before...................(seven days clear notice from the date of issue) during office hours together with the copy of documents in support of his/her/it, claim/objection and obtain receipt thereof.

It is hereby notified for information of all the interested parties that according to the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramilr Vikas Bank Adhiniyam, 1999 if no claim or interest under such attachment/proposed security or mortgage or charge is not informed/notified to the Development Bank by any interested party within the above mentioned specified time, the security so furnished in favour of the Development Bank shall take precedence over any attachment or mortgage or charge over the properties.

So interested parties to please note.

Place:

Date:

Signature of Valuation Officer

(Name...................)
Designation.....................
Seal...........

Copy forwarded for information and necessary action to :-
1. Kotwar village,...................to affix the above notice in public place.
2. Gram Panchayat office.
3. Patwari of the area.
4. Central Co-operative Bank Branch..................
5. All commercial Banks of the area..............
6. State/District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd............................ Branch.................for notice Board.

Date..............

Signature of Valuation officer
with Designation & Seal.

State/District Co-operative Agriculture & Rural development Bank Ltd.
Branch...................

FORM No. B
[See Rule 13 (8)]

Certificate of publication of Notice

Applicant's name Shri/Organisation, ...
Son of Proprietor's name. .... Resident/place of ....

Certified that a publication of notice of the above mentioned applicant under sub-section (2) of Section 19 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam. 1999 has been published. The copy of Notice was given to kotwar to affix it in public place and to Gram Panchayat, Patwari, Central Co-operative Bank and Commercial Banks of the area for necessary action. Its copy was also published on the Notice Board of the Development Bank.

objection or any claim or interest under such attachement/proposed security, or mortgage or charge has not been received within the time specified in the said notice. Hence the loan in question deserves to be sanctioned.

Or

The following objection or claim or interest under such attachment/proposed security or mortgage or charge has been received within specified time in the said notice ;

Nature of objection details ....
....
....

How disposed off. ....
and as such loan does not deserve to be sanctioned OR the objection are without any base and loan can be considered for sanction. (Specify reasons).

Place -

Date -

Signature

Valuation officer
Name & Designation
Seal

Note:- Strike out which is not applicable.

State/District Co-operative Agriculture & Rural development Bank Ltd
Branch.................

FORM-C
[See Rule 13(11)]

Before the...

Affidavit

I......................S/o................,....Aged..........Years............Resident of....................Tehsil........................District...............in the capacity of Self/Guardian/Chief Executive/Working partner/Director/ President do hereby solemnly declare on oath as under:-

1. That I am taking loan in the self individual capacity competent to contract.

Or

That I am a guardian appointed by the court vide order No. ....dated...........for the minor shri. ....Aged.........years.........and entitled to take loan for the development of property/Installation of unit.

Or

that I am the Chief Executive/Working partner/Director/President (in whatever named called) for the following organisation /institution who have empowered me to give affidavit and take loan from the Development Bank :-

(a) a Co-operative Society namely.....................registered under the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (Regn. No............) or

(b) a Public Trust namely................Registered under the Chhattisgarh Public Trust Act, 1951(Registration No.....................) or

(c) a Firm/Company/Corporation/Body Corporate namely............ established /constituted under law. (Regn. No. ....) or

(d) a society namely .... registered under thc Chhattisgarh Society Registration Adhiniyam 1973 (Regn. No.....................) which is approved by the State Government by order No.... dated...........

2. That I have furnished following movable/immovable property as security for loan :-
   (a) Place where property is situated.......................................
   (b) Khasra No./House No. / Other details.......................................
   (c) Area of property/machines details.......................................
   (d) Land revenue/Tax Rs.......................................
   (e) Other details to identify the property.......................................
   (f) Approximate value of the property.......................................

3. That the above said movable/immovable property is free from all encumbrances.

4. That the above described property is in may/our actual possession.

5. That 1 have the right/power to furnish such security in favour of Development Bank.

6. That I have not more than 10 hactare of land in Chhattisgarh.

7. That I am in the category of Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC/General.
That it is also hereby declared that if the above mentioned declaration in respect of movable/immovable property offered as security is found false or defective, it shall be punishable: under the Penal Code 1860 and the Development Bank shall have a first charge on my/our all other movable/immovable properties and all such other properties shall be deemed to have been included in the security furnished by me/us for the loan.

Signature

Deponent.

Verification

I.............................. the above mentioned deponent do verify that the contents from Para 1 to 8 of the aforesaid declaration are true to the best of my knowledge and belief and I have not hidden anything.

Verified at.......................on this.................. day.............
of...................20.......

Signature....................

Deponent....................

Note - Strike out which is not applicable.

State/District Co-operative Agriculture Aur Rural Development Bank Ltd..........
Branch........................

FORM No. D
(See Rule 20)

Sale Certificate

1- Applicant Bank: State/District Co-operative Agriculture &. Rural Development Bank Ltd. ....
Branch. ....

2- Defaulters name/organisation's name......................................

whose immovable property is sold.......................

3- Purchaser's name...
This is to certify that in pursuance of an application made by the State/District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd... ....(Registration No. ....) Branch...,....................... an applicant, under Section 27 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 in sale application No........... of.................the immovable property of the defaulter Shri/Organisation............... Son of /Regn.

1. No...... .resident/place of .... .Tehsil ....
District.......... .has been put to sale by public auction

2. Shri/Organisation .... .son of /Regn. No.............,.. resident/place of .. ..Tehsil........ . district.......... .has been declared the purchaser at public auction held on.... .of the under mentioned immovable property.

The sale proceeds of Rs................ have been received in full satisfaction of the Bank and the receipt of the Bank is given to the purchaser......... Receipt No..,... date....

The said sale of the immovable property is confirmed by the Registrar or any other officer empowered by him in this behalf i.e. Registrar Co-operative Societies............. under sub-section (3) of Section 28 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 vide confirmation Order No .... dated.........and the sale has become absolute and the property is deemed to have vested in the purchaser from the time, the property is sold.

The Details of the property sold:-

1. Registration District........................
2. Municipal Corporation/Municipality place...............................
3. District.........................
4. Tehsil ....
5. Village/Mohalla........................
6. Settlement No. of the village/ward No.........................
7. Survey No. /House No.........................
8. Local name.........................
9. Area............ .acre/........ .sq.ft.
10. Right...................

11. Land Revenue/House Tax.......................
12. Date of Auction.......................
13. Date of confirmation when sale become absolute..............
14. Amount for which Rs................sold to the purchaser (sale price).

The sale certificate is given to the purchaser under Section 30 of the Chhattisgarh. Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam. 1999 for getting it registered in the concerned sub-Registrar Office in his register relating to immovable property and also land record/House record entries duly mutated by the Revenue Authority/Municipal Authority concerned.

Station:

Date:

Sale officer
Seal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NARAYAN SINGH, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 19 जनवरी 2009

रा. प्र. क्र. 01-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	घोंघा प. ह. नं.- 06	6.041	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	बावली जलाशय के बांधपार, नहर, डूबान एवं उलट हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्रमांक 02/अ-82/2008-09/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	फरहदा	0.75	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 23 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	राजाआमा प. ह. नं. 19	19.661	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय योजना के डूबान, बांध, स्पील चैनल क्षेत्र का पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूनि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	जोगीपाली	3.65	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., कोरबा संभाग, कोरबा.	रामपुर - जोगीपाली, मदवानी मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	पचपेड़ी	4.50	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स, कोरबा.	कोथारी, सोहागपुर पचपेड़ी पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./11/अ 82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभ. संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रावांभाठा प. ह. नं. 100	119/3	0.024	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, क्रमांक-2, लो. नि. वि., रायपुर.	छोकरानाला पर नये उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.
			120	0.081		
		योग	2	0.105		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2009

क्रमांक/12/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोढ़े, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
183	1.05
754	0.01

(1)	(2)
755	2.05
757	0.02
योग	3.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर मनियारी मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गुडरूमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.123 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/1	0.172
91/2	0.324
94/1	0.862
93/2	0.219
94/2	0.101
263/3	0.224
255/1	0.607
255/2	0.405
255/3	0.514
92/2	0.809
263/2	0.194
263/8	0.101
254	0.445
263/7	0.146
योग	5.123

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक/527/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
489/9	0.283	470/2	0.133
489/17	0.298	466	0.162
487/3	0.324	363, 364	0.129
489/14	0.283	365	0.169
489/15	0.129	366/1	0.28
488/11	0.306	366/2	0.258
488/2	0.041	366/3	0.191
330/1	0.262	356/15	0.405
474/3	0.129	356/4	0.004
487/2	0.025	356/20	0.101
485	0.041	333/2	0.049
489/10	0.250	371/4	0.024
487/1	0.405	356/21	0.446
374/1	0.121	356/26	0.189
486/1	0.141	354/2	0.008
467	0.081	356/27	0.202
483	0.069	343/1	0.206
484	0.178	343/2	0.250
486/2	0.304	342/1	0.141
482	0.342	342/3	0.008
333/1	0.202	145/3	0.020
481/2	0.421	351/2	0.024
333/3	0.085	352	0.036
481/1	0.598	353	0.105
473/1	0.202	341/2	0.004
327/2	0.020	335	0.262
473/2	0.282	344	0.222
473/3	0.356	345	0.020
375/1-2	0.105	336	0.008
474/2	0.283	333/4	0.283
146	0.049	333/5	0.142
474/4	0.049	332/1	0.012
474/8	0.012	332/2	0.121
80/1	0.081	331	0.085
80/3	0.040	330/2	0.093
472	0.041	326	0.231
80/2	0.049	329	0.008
145/2	0.081	79	0.282
374/2	0.405	80/5	0.109
470/1	0.138	87/1-2	0.354
		325	0.024
		145/1	0.162
		147/1	0.061

(1)	(2)
147/6	0.004
147/7	0.202
147/2	0.072
89-90	0.162
259	0.109
334	0.081
87/3	0.012
88/1	0.109
86/1	0.121
474/5	0.178
356/3	0.162
374/3	0.142
374/4	0.133
योग 96	14.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बॅराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.